कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 124 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 19 फरवरी, 2015

सेवा में,

श्री हर्ष रतूड़ी,
130/77 कालीदास मार्ग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील संख्या A(D).16057 /2014 पर मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या– 11 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी/ सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त पत्र संख्या 2312 दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से प्राप्त आख्या आपको सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 124 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– .1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून को अपील संख्या A(D).16057 /2014 की सुनवाई दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

By hand

प्रे

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
का0–प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं0:–2312/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 15–12–2014

विषयः– **श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 04–06–2014 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में अपील संख्या–15260 के सन्दर्भ में सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंट आफिसर को प्रस्तुत किये गये अपने नामांकन पत्र में दी गई सूचना के सम्बन्ध में श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के द्वारा आपात्ति पत्र दिनांक 04–06–2014 में 05 बिन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए श्री निशंक द्वारा भरे गये नामांकन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराने एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125क मिथ्या शपथ पत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति के अन्तर्गत श्री निशंक के विरूद्ध आपाराधिक मामला दर्ज करावा कर उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया था। उक्त सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के **01** लगायत **106** पृष्ठ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि उक्त प्रकरण पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125क के अधीन कार्यवाही के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन करने का कष्ट करें।

संलग्नक– **01 लगायत 106 पृष्ठ।**

भवदीय,

15/12/2014
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

पत्रांक– 2306/25–14 (सू0अ0अ0) 2014 दिनांक– 14 दिसम्बर, 2014

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री हर्ष रतूड़ी 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के पत्र के कम में अपील संख्या 15260 की सुनवाई दिनांक 15.12.2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आदेश संख्या 13943 जो दिनांक 05.12.2014 को प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दिनांक 15.12.2014 को लिखित स्पष्टीकरण एवं समस्त प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में सविनय अनुरोध है कि अपीलकर्ता श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 हेतु निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश चन्द्र पोखरियाल द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र व शपथ–पत्र में दी गयी सूचनाओं के संबंध में पॉच बिन्दु पर लगायी गयी आपत्ति की जांच कराये जाने के अनुरोध पर नामित जांच अधिकारी द्वारा जांच हेतु संबंधित विभागों को जारी पत्र का प्रत्युत्तर समय पर प्राप्त न होने एवं दो माह तक मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जांच कार्य बाधित होने से अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट तथा समय उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसका उल्लेख जांच अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) महोदया द्वारा अपनी जाचं रिपोर्ट संख्या 2303 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में किया गया है, उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः जांच अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि उपरोक्त उल्लिखित कारणों के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
14/12/2014
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– श्री हर्ष रतूड़ी 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून 248001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति स्वीकार/प्राप्त करने का कष्ट करें।

14/12/2014
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

Received
15/XII/14

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

पत्रांक– 2306/25–14 (सू0अ0अ0) 2014 दिनांक– 14 दिसम्बर, 2014

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री हर्ष रतूड़ी 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के पत्र के कम में अपील संख्या 15260 की सुनवाई दिनांक 15.12.2014 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आदेश संख्या 13943 जो दिनांक 05.12.2014 को प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दिनांक 15.12.2014 को लिखित स्पष्टीकरण एवं समस्त प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में सविनय अनुरोध है कि अपीलकर्ता श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 हेतु निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश चन्द्र पोखरियाल द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र व शपथ–पत्र में दी गयी सूचनाओं के संबंध में पॉच बिन्दु पर लगायी गयी आपत्ति की जांच कराये जाने के अनुरोध पर नामित जांच अधिकारी द्वारा जांच हेतु संबंधित विभागों को जारी पत्र का प्रत्युत्तर समय पर प्राप्त न होने एवं दो माह तक मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जांच कार्य बाधित होने से अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट तथा समय उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसका उल्लेख जांच अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) महोदया द्वारा अपनी जाचं रिपोर्ट संख्या 2303 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में किया गया है, उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः जांच अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि उपरोक्त उल्लिखित कारणों के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

14/12/2014

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– श्री हर्ष रतूड़ी 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून 248001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति स्वीकार/प्राप्त करने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषक,

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी,
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि. / रा.),
हरिद्वार।

सेवा में,

मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
लाडपुर रिंगरोड़, देहरादून।

पत्र सं0:–2303 / 25–14(सू0अ0अ0) / 2014 दिनांकः 11 दिसम्बर, 201

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदा मार्ग, देहरादून के पत्र के कम में अपील संख्या–15260 की सुनवाई दिनां 15–12–2014 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आदेश पत्र संख्या–13943 दिनांक 26–11–2014 जो इ कार्यालय में दिनांक 05–11–2014 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशानुश सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 के समय निर्वाचन लड़ वाले प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर, 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सम्मुख प्रस्तुत नामांकन पत्र एवं अन्य अभिलेखों में उल्लिखित मिथ्या एवं शपथ पत्र के सम्बन्ध में श्री ह रतूड़ी, 130 / 77, कालीदास मार्ग, देहरादून के अनुरोध पत्र दिनांक 04–06–2014 के द्वारा 05 बिन्दुओं प आपत्ति प्रस्तुत की गई थी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125क मिथ्या शपथ पत्र दाखिल कर के सम्बन्ध में श्री निशंक के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही किये जा की मांग सम्बन्धी प्रकरण की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उव प्रकरण / अपील संख्या–**15260** की सुनवाई दिनांक **15–12–2014** को नियत है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उल्लिखित 05 बिन्दुओं की जांच हेतु सम्बन्धित विभागों को प्रेषि पत्रालेखों का विवरण / जांच आख्या का विवरण निम्नानुसार है।

1–अपर सचिव / राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड – शासन देहरादून।	पत्र सं0–2112 दिनांक 18–10–2014
2–अधिशासी अभियन्ता,(दक्षिण)उत्तराखण्ड जल संस्थान– राजपुर रोड़, देहरादून।	पत्र सं0–2113 दिनांक 18–10–2014
3–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड,(केन्द्रीय)उ0पा0का0लि0– ई0सी0 रोड़ देहरादून।	–ऐ–
4–कुलपति, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल–	
5–जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल–	पत्रसं0–2114 दिनांक–18–10–2014
6–जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून–	पत्र सं0–2115 दिनांक–18–10–2014
7–जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल–	–ऐ–
8–जिलाधिकारी, देहरादून–	पत्र सं0–2119 दिनांक 18–10–20.14
	–ऐ–

अनुस्मारक पत्र

1–अपर सचिव / राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड – शासन देहरादून।	पत्र सं0–2178 दिनांक 14–11–2014
2–अधिशासी अभियन्ता,(दक्षिण)उत्तराखण्ड जल संस्थान– राजपुर रोड़, देहरादून।	पत्र सं0–2182 दिनांक 14–11–2014
3–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड,(केन्द्रीय)उ0पा0का0लि0– ई0सी0 रोड़ देहरादून।	–ऐ–
4–कुलपति, गढ़वाल विश्व विद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल–	
5–जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल–	पत्रसं0–2179 दिनांक–14–11–2014
6–जिलाधिकारी, देहरादून–	पत्रसं0–2180 दिनांक 14–11–2014
6–जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल–	–ऐ–
	पत्र सं0–2181 दिनांक 14–11–2014

श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा उक्त नामांकन पत्र एवं दस्तावेजों के सम्ब... उक्त सन्दर्भ में की गई कार्यवाही / जांच आख्या ...

1(क)–श्री रमेश पोखरियाल निशंक को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तराखण्ड शासन राज्य सम्पत्ति अनुभाग –1 के ज्ञाप संख्या 319/XXXII (1)–2012–01(दो)–14/2011देहरादून दिनांक 19 जून, 2012 के माध्यम से यमुना कालोनी देहरादून के अन्तर्गत स्थिति आवास संख्या--आर–4 का आवंटन किया गया है

(ख)–श्री रमेश पोखरियाल निशंक दिनांक 11–09–2011 को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद से लेकर लगभग 29 माह तक सहपरिवार राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत सर्किट हाउस एनेक्सी देहरादून में अध्यासित रहे हैं।

उक्त तथ्यों के आलोक में आपत्ति

राज्य सम्पत्ति विभाग के उक्तांकित ज्ञाप के बिन्दु–3 में स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटित आवास के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित मानक मासिक किराये का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग को करने तथा विद्युत व्यय तथा जल उत्सरण व्यय का भुगतान मीटर रीडिंग के आधार पर संबंधित विभागों को करने का दायित्व प्रदेशन ग्रहिता/आवंटी का होगा।**(अनुलग्नक–1)**

तद्नुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अपने चुनाव नामांकन प्रपत्र के साथ उक्त दोनों सरकारी आवासों से सम्बन्धित मानक मासिक किराये का भुगतान **विद्युत व जल उत्सरण बिलों** के दिनांक 16 अप्रैल, 2014 तक अध्यतन भुगतान सम्बन्धी 'नो ड्यूज' ''अर्थात कोई बकाया नहीं'' प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। कृपया इस तथ्य का संज्ञान लें।

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिका[री] उत्तराखण्ड शासन, अनुभाग–1 देहरादून इस कार्यालय के **पत्र संख्या–**[illegible]**78 दिन**[ांक] **14 नवम्बर,2014** एवं [अनु]स्मरण संख्या–**2178** दिनांक **14 नव**[म्ब]**र, 2014** द्वारा आख्या मांगी गई थी, जि[स]के प्रत्युत्त[र] उनके **पत्र संख्या–2228** दि[ना]**क 28–1**[illegible] **2014** में उल्लिखित किया ग[या] है कि मा. मुख्य मंत्रियों को दी जा [रही] सुविधाओं सम्बन्ध में नीति/आवास के किराये की निर्धारित न होने के कारण शासन के संख्या–742 दिनांक 15 अप्रै[ल] 2014 द्वारा रमेश पोखरियाल निशंक [को] अदेयता प्र[माण] पत्र जारी किया गया है।(**छा**[य]**ा प्रति संलग्**[न]

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (दक्षि[ण]) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून **एवं** [अधि.] अभि., विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्री[य]) उ0पा0का0लि0 18–ईसी रोड़, देहरादून को कार्यालय के पत्र संख्या–**2113** दि[नांक] 18–10–2014 एवं अनुस्मरण संख्या–**2182** दिनांक 14–11–2014 के [द्वारा] जल उत्सरण व्यय के भुगतान के सम्बन्ध[में] सूचना चाही गई थी।

1–(क)उक्त पत्रों के कम में अधि.अ[भि.] ,उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के संख्या–**164** दिनांक **24–11–2014** [द्वारा] सूचना उपलब्ध करायी गई है, जिसके मा. श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम सर्किट हाऊस एनेक्सी देहरादून में संयोजन स्थापित था। उत्तराखण्ड श[ासन] राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 संख्या–434 XXXII/2014–01(सात)/2011 देह[रादून] दिनांक 19–03–2014 जिसकी छाया प्रति संलग्न है, दिनांक 18–02–2014 अध्यासित रहे हैं। माननीय श्री पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री जी की दिनांक 18–02–2014 तक की धनराशि 49610–00 देय होती थी, जो उन्होंने संख्या–4032776 दिनांक 05–04–201[4] द्वारा जमा करा दी गई थी, तत्पश्चात संस्थान देहरादून अदेयता प्रमाण संख्या–83 दिनांक 05–04–2014 जारी दिया गया, जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।(**छाया प्रति संलग्**[न]

2–अधि.अभि., विद्युत वितरण खण्ड,(के[न्द्रीय]) देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या--**3524** **13–11–2014** द्वारा सर्किट हाउस एने[क्सी] अवशेष बिद्युत देयक की प्रति संलग्न क[र] रू0 553829–00 सूचना उपलब्ध करा[यी] है। (छाया प्रति संलग्न)

हे0) श्रेणी–10(4)अन्य कारणों से अकृषक भूमि (Non 2A ख.खा. संख्या–14) रू0 15000/–प्रति नाली की दर से 3 नाली आवंटित है। और राजस्व अभिलेखों में रू0 60/– वार्षिक लगान पर उक्त श्री रमेश पोखरियाल के नाम पर दर्ज है। इस राजस्व भूमि के आवंटन के सापेक्ष श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दिनांक 02 जून, 1990 को भारतीय स्टेट बैंक पौड़ी गढ़वाल के दो चालानों के माध्यम से क्रमशः रू0 15000/– व रू0 60000/– सरकार के पक्ष में भुगतान भी किया गया । जिसके आधार पर उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक को उक्त राजस्व भूमि आवंटित की गई है व वर्तमान में उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर ही राजस्व अभिलेखों में ही दर्ज है कृपया इस सज्ञान लें। **(अनुलग्नक–डी)** **ब**–राजस्व विभाग जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों/साक्ष्यों/सूचनाओं के अनुसार कु0अरूषि पोखरियाल पुत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक दिनांक 10 मार्च, 2005 से लेकर आज की तिथि तक नई चेतना संस्थान पोखरियाल भवन कोटद्वार रोड़ पौड़ी गढ़वाल नाम अपनी पारिवारिक संस्था की अध्यक्षा हैं। इससे पूर्व दिनांक 6 अप्रैल, 1990 से 10 मार्च, 2005 तक स्वयं श्री रमेश पोखरियाल निशंक अपनी पारिवारिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं,जिसमें प्रबन्ध कारिणी के अधिकाशं सदस्य उनके परिजन हैं। श्रीरमेश पोखरियाल निशंक की इस पारिवारिक संस्था को तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत ग्राम खूनीबड़, पटटी मोटाढांक के खसरा नं0 134 मध्ये 0.43 एकड एवं खाता संख्या–52 के खसरा नं0 133 मध्ये 057 एकड कुल 01 एकड(20 नाली)सरकारी राजस्व भूमि जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के आदेश संख्या–1445/7–63(91–92)दिनांक भूलेख 23 सितम्बर, 1992 के अनुसार बिना नजराना के रू0 1200/– वार्षिक भूकर आवंटित है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उक्त आवंटित भूमि संबंधी नियत वार्षिक भूकर की अदायगी की जा रही है। इस सम्पत्ति का भी कोई उल्लेख प्रश्नगत शपथ पत्र में नहीं है। न ही इस संस्था की अन्य चल अचल सम्पत्तियों का कोई उल्लेख है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक–ई) **(स)**राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों/ साक्ष्यों /सूचनाओं के अनुसार कु0अरूषि पोखरियाल पुत्र श्री रमेश पोखरियाल निशंक हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, सगुन प्लाजा बाई पास रोड़ श्यामपुर, जिला देहरादून नामक संस्था जिसके अन्तर्गत वर्तमान में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज भी संचालित है, की कोषाध्यक्षा व निदेशिका हैं। इस संस्था को तहसील ऋषिकेश के अन्तर्गत फतेहपुर टांडा माजरी ग्रान्ट के खसरा नं0 248 मी0 रकवा 2.510 हे0, खसरा नं0 247 मी0 रकवा 0.486 हे0 एवं खसरा नं0 246 मी0 रकवा 1.051 हे0 अर्थात कुल 4.047 हे0 सरकारी राजस्व भूमि प्रमुख सचिव (राजस्व) उत्तराखण्ड शासन देहरादून के जिलाधिकारी देहरादून को सम्बोधित पत्रांक 253/18(1/2005 दिनांक 22 जुलाई, 2005 के अनुसार निशुल्क आवंटित है। इस सम्पत्ति का भी कोई उल्लेख प्रश्नगत शपथ पत्र में नहीं है। न ही इस संस्था को अन्य चल अचल सम्पत्तियों का कोई उल्लेख है। कृपया इसका संज्ञान लें**(अनुलग्नक–एफ)**	जिलाधिकारी कोटद्वार/श्रीनगर को सम्बोधित है के द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जांच कर अपनी सुस्पष्ट आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त पत्र की प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गई है **(छाया प्रति संलग्न)**
5–क–शपथ पत्र के पृष्ठ 10 के बिन्दु 10 व पृष्ठ 11 के बिन्दु 11 में श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अपनी शैक्षिक अर्हता व उच्च शैक्षणिक अर्हता–एम ए हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्व विद्यालय श्रीनगर गढ़वाल व पीएचडी (मानद) दर्शायी गई है। जबकि तद्संबंधी विस्तृत विवरण कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है।	

उक्त बिन्दु में तथ्य पर आपत्ति

इस बिन्दु के सापेक्ष न तो उस महा विद्यालय के नाम का उल्लेख है, जहां से प्रत्याशी द्वारा उक्तांकित शिक्षा प्राप्त की गई न ही उस वर्ष का उल्लेख है जिसमें उल्लिखित कार्यकम पूर्ण किया गया है। न ही तत्संबंधी विषय का उल्लेख है जबकि शपथ पत्र में यह सूचना अंकित की जानी आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि हेतु उल्लिखित विश्व विद्यालय से जुलाई, 2013 में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगी गई थी, जिसका कोई भी उत्तर न तो उक्त विश्व विद्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और न ही विभागीय अपीलीय अधिकारी उपलब्ध करवा पाये। वर्तमान में प्रश्नगत प्रकरण केन्द्रीय सूचना आयोग के विचारार्थ/स्तर पर लम्बित है। कृपया इसका संज्ञान लें **(अनुलग्नक–जी)**

ख–इसी प्रकार प्रत्याशी द्वारा अपने को पीएचडी (मानद) उपाधि धारक होना दर्शाया गया है किन्तु इस बिन्दु के सापेक्ष न तो विश्व विद्यालय का न ही वर्ष इत्यादि का कोई उल्लेख है जबकि शपथ पत्र में यह सूचना अंकित की जानी आवश्यक है। कृपया इस संज्ञान लें।

उक्त पांच बिन्दुओं में वर्णित तथ्यों के आलोक में महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्तांकित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रार्थी को उक्त वर्णित आपत्तियों के सापेक्ष आपके समक्ष साक्ष्य/ दस्तावेज प्रस्तुत करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करने की महती कृपा करें व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2005 की धारा 125क 'मिथ्या शपथ पत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति के अन्तर्गत उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाकर उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही करने की महती कृपा करें।

प्रसंगवश, प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दिनांक 19 अप्रैल, 2014 को आपके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर उक्त प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र/ शपथ पत्र इत्यादि की प्रतियां उपलब्ध करवाने का लिखित निवेदन किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में प्रार्थी को इस हेतु नियत 30 दिनों के स्थान पर 45 दिनों बाद आपके कार्यालय से सूचना उपलब्ध करवाई गई, जिस कारण प्रार्थ को अपनी आपत्तियां आपके समक्ष दर्ज करवाने में इतना विलम्ब हो गया, कृपया इस तथ्य का भी संज्ञान लें।

इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–**2114** दिनांक
18 अक्टूबर, 2014 एवं अनुस्मारक पत्र
संख्या–**2179** दिनांक **14–11–2014** के द्वारा श्री
निशंक की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में कु
सचिव, हे.नं.ब., ग.वि.वि. श्रीनगर गढ़वाल से सूच
मांगी गई है।

उक्त पत्र के कम में कुल सचिव हेम
नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्री
गढ़वाल के पत्र संख्या–**MA/2014/871** दि
08–11– 2014 जो इस कार्यालय
12–11–2014 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा अ
कराया गया है कि मांगी गई व्यक्ति की शै
योग्यता अभिलेख से सम्बन्धित सूचना का
उत्तीर्ण वर्ष/संस
/व्यक्तिगत/अनुकमांक/नामांकन संख्या
संबंधित महाविद्यालय/संस्थान का नाम की
प्राप्त होने पर ही सूचना उपलब्ध करा
सकेगी। **(छाया प्रति संलग्न)**

श्री निशंक द्वारा नामांकन पत्र के
शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित कोई भी प्रम
के साथ साथ संलग्न शपथ पत्र के पृष्ठ
बिन्दु 10 व 11 में स्पष्ट लिखा गया
"प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम
प्रारूप का उल्लेख करते हुए
विद्यालय/विश्वविद्यालय/शिक्षा के ब्यौरे
विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय
और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा कि
था, का ब्यौरा दें"

उक्त ब्यौरा न दिये जाने के कारण
योग्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या दि
सम्भव नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अपीलकर्ता श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास देहरादून द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक 14–11–2014 द्वारा लोक अधिकारी, का0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–**1592** दिनांक 10–09–2014 के की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी, जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या–**2276** दिनांक **02–12–2014** अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

मा.आयोग के निर्देश प्राप्त होते ही जांच शुरू कर दी गई थी, परन्तु दो माह तक कलेक्ट्रेट मिनि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कार्य सम्पादित कराने में काफी कठिनाई हुई। तत्पश्चात विभिन्न कार्या सूचना एकत्रित कर जांच प्रस्तुत की जा रही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि **कारण बताओ नोटिस** निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.)
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिका
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

0/m 5-11-14

पत्रांक 13943 /शि0सं0 9675/2014/18(1)एफ /उ.सू.आ. दिनांक 26.11.14

शिकायत सं0 : 9675/2014/18(1)एफ (CIC)

नोटिस

संदर्भ अपील/शिकायत संख्या : 15260

अपीलकर्ता /शिकायतकर्ता :– श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून – 248001

बनाम

प्रतिपक्षी :
1. लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार उत्तराखण्ड

कारण बताओ नोटिस धारा 18(1)(एफ)

1. **विभागीय अपीलीय अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार उत्तराखण्ड**

चूंकि मा0 आयोग द्वारा : **अपील/शिकायत संख्या : 15260** श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून – 248001 बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार उत्तराखण्ड में **दिनांक 19.09.2014** को आदेश पारित किये गये थे । **अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया है कि मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश के पैरा 4 का अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया है**

2. अतः कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न **अपील/शिकायत संख्या : 15260** में प्रदत्त आदेश **दिनॉक** 19.09.2014 का अनुपालन न करने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18(1)(एफ) सहपठित धारा 20(1) तथा 20(2) में निहित प्राविधान के अन्तर्गत जांचोपरान्त आपके विरूद्व अर्थदण्ड आरोपित करने की कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही की संस्तुति करने की कार्यवाही की जायें ?

3. अतः आप **दिनांक 15.12.2014 को समय 11:00 बजे** सूचना आयोग के सम्मुख लिखित स्पष्टीकरण एवं समस्त प्रमाण सहित उपस्थित हों।

संलग्नक :– शिकायत की प्रतिलिपि

ह/-
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपिः
1. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार उत्तराखण्ड।
2. श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून – 248001 को सूचनार्थ प्रेषित।

25.11.14
(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
सचिव

ADEO(H)

ADM(F)
04/12/14

A 15620

सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

30 OCT 2014
14375

सेवामें,

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड़,
देहरादून।

दिनांकः 30अक्तूबर, 2014

विषयः अपील संख्या : **A(HR) – 15620/2014** पर दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त भी लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, प्रथम अपीलीय अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार व सुश्री रवनीत चीमा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/नामित जांच अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व हरिद्वार द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध न करवाए जाने पर आयोग के समक्ष शिकायत प्रेषण

महोदय,

निवेदन है कि मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की पीठ द्वारा प्रार्थी के अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2014 पर पारित आदेश के उपरान्त भी उक्तवर्णित अधिकारियो के स्तर से प्रार्थी को आतिथि तक न तो कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई और न ही तद्विषयक कोई उत्तर प्राप्त हुआ है।

तद्नुसार आपसे प्रार्थना है कि कृपया उक्तवर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के माध्यम से वांछित बिन्दु 1 की पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु आयोग के स्तर से अग्रिम कार्रवाई की महती कृपा करेंगे।

अपीलार्थी,

(हर्ष रतूड़ी) 30/x/14
130/77 कालीदास मार्ग,
देहरादून –248001
email – harshraturi@gmail.com

संलग्न : उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

✓ पंजीकृत

(3)

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक 15543 (अपील संख्या : A(HR) - 15620/2014/ दिनांक : 20.9. 2014

1. लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार।
3. सुश्री रवनीत चीमा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार।

अपील संख्या : **A(HR)** - 15620/2014 : श्री हर्ष रतूड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी/ सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 19/09/2014 के आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून।
संलग्न : यथोपरि।

19.09.14
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **A(HR) - 15620 / 2014**

समक्ष : एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार
3. सुश्री रवनीत चीमा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार

आदेश

यह द्वितीय अपील श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार के विरूद्ध दायर की गयी है जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 19 / 06 / 14 पर उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं हुयी है.

2. अपील की सुनवायी हेतु आयोग द्वारा दिनांक 02 / 09 / 14 को उभय पक्षों को नोटिस प्रेषित किये गये. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री धीरज कुमार, वरिष्ठ सहायक उपस्थित हैं. उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिखित अभिकथनों को प्रस्तुत किया गया.

3. अपीलकर्ता के द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक 19 / 06 / 14 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया था जिसमें उनके द्वारा अपने एक शिकायती पत्र दिनांक 09 / 06 / 14, जो रिटर्निंग अधिकारी 05 संस्दीय क्षेत्र, हरिद्वार को प्रेषित 34 पृष्ठ के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना चाहने से सम्बन्धित था, पर की गयी कार्यवाही की प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था. लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 11 / 07 / 14 को अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी 05 संस्दीय क्षेत्र, हरिद्वार को उपलब्ध कराये गये उनके शिकायती पत्र के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही गतिमान है, तथा जांच कार्यवाही की सूचना कार्यालय में प्राप्त होने पर उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी.

4. लोक सचूना अधिकारी के उपरोक्त उत्तर के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील की गयी जिसका निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला

निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि जांच शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

5. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आज जो लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है उसके पताका–घ में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/08/14 की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें उक्त प्रकरण पर जांच हेतु सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सक्षम नहीं होने के कारण अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किये जाने की संस्तुति पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है.

6. लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सुश्री रवनीत चीमा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार हैं. अतः उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पारित प्रथम अपील आदेश दिनांक 05/08/14 में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच की कार्यवाही पूर्ण करने सम्बन्धी निर्देश दिया जाना उचित नहीं है. अतः उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार/सुश्री रवनीत चीमा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 19/08/14 के अनुसार इस प्रकरण में स्वयं जांच कर एक माह के अन्दर जांच पूर्ण कर अपीलकर्ता को की गयी कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करायें. इस आदेश की प्रति सुश्री रवनीत चीमा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को भी अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये.

उपरोक्त निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है.

आदेश की प्रति उभय पक्षों को आदेश के अनुपालनार्थ निर्गत हो

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.

19/09/2014

19/9/14.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

मुख्य पत्र

① ⑥

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन, अनुभाग–1,
देहरादून।

संख्याः–2112 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवंटित आवास में दिनांक 11 सितम्बर, 2011 से 29 माह तक सपरिवार राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत सर्किट हाउस ऐनेक्सी, देहरादून में अध्यासित रहे हैं, जिसका मानक मासिक किराया भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है। आपके पत्र संख्या–742 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री निशंक पर कोई भी देय शेष नही है, का अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया है, के सम्बन्ध में अपीलकर्ता द्वारा उक्त अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में देयता का साक्ष्य प्रस्तुत कर आपत्ति करते हुए निश्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, कि क्या श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा उक्त भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं। वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी है। अदेयता प्रमाण पत्र एवं आपत्ति की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1–अधि. अभि.(दक्षिण),उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32–राजपुर रोड़, देहरादून।
2–अधि.अभि.विद्युत वितरण खण्ड(केन्द्रीय),उ0पा0का0लि018–ईसी रोड़, दे.दून।

संख्याः–2113 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल को आवंटित दोनों सरकारी आवासों पर संयोजित विद्युत व जल उत्सरण बिलों का दिनांक 16 अप्रैल, 2014 तक अद्यतन भुगतान सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से ~~अवगत~~ तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उक्त आवंटित आवासों का भुगतान किया गया अथवा नहीं, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 26–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके। अदेयता प्रमाण पत्र एवं आपत्ति पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

कृपया (handwritten) ② ⑧

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्या:– 2115 /25–14(पू.अ.अ.)/2014 दिनांक: 18 अक्टूबर, 2014

विषय:– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल का नाम जनपद देहरादून की 22–मसूरी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–54 के क0सं0 761 पर अंकित है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल की 37–पौड़ी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–110–अपर बाजार वार्ड नं–4 के कम संख्या–379 पर पर नाम अंकित है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125क–मिथ्या शपथ पत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति के अन्तर्गत विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा कर उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई है।

मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे स्थिति स्पष्ट करते हुए तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके। श्री निशंक के दो पृथक–2 मतदेय स्थलों पर अंकित नामों (मतदाता पर्ची) की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,
(signature)
(वनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(signature)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

मूल पत्र

(5)

(9)

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1—जिलाधिकारी, पौड़ी—गढ़वाल।
2—जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्याः—2119 /25—14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः— **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2014 में 05—हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल एवं उनकी पुत्र कु. अरूषी पोखरियाल के नाम तहसील श्रीनगर(गढ़वाल) एवं तहसील कोटद्वार मोटाढाक खूनीबड़ में तथा हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, शगुन प्लाजा, बाईपास रोड़ श्यामपुर, जिला देहरादून नामक संस्था जिसके अन्तर्गत वर्तमान में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, की कोषाध्यक्षा व निदेशिका है, इस संस्था को तहसील ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर टाण्डा, माजरी ग्रान्ट में राजस्व भूमि आवंटित होना अवगत कराया गया है, परन्तु उनके द्वारा नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त तथ्य की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या—15543 दिनांक 20—09—2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः श्री रमेश पोखरियाल निशंक को उक्त तहसीलों के अन्तर्गत आवंटित राजस्व भूमि के अभिलेखों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28—10—2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके। अदेयता प्रमाण पत्र एवं आपत्ति पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः— श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

मुख्य फ़ा

(5)

(10)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

कुलपति,
गढ़वाल विश्व विद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल।

संख्याः– 2114 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एम.ए. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल व पीएचडी(मानद) दर्शायी गई है, किन्तु शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण संलग्न नहीं किये गये हैं और न ही वर्ष का उल्लेख किया गया जिसमें पाठयकम पूर्ण किया गया है, के सम्बन्ध में स्पष्ट जांच का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा पूर्ण की गई शैक्षणिक योग्यता एवं मानद उपाधि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का नाम व वर्ष सहित तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

पंजीकृत

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन, अनुभाग-1,
देहरादून।

संख्याः-2178 /25-14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः- **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-2112 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 की प्रति एवं आपके पत्र संख्या-319 दिनांक 19 जून, 2012 की प्रति इस आशय से प्रेषित की गई थी कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 में 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवंटित आवास में दिनांक 11 सितम्बर, 2011 से 29 माह तक सपरिवार राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत सर्किट हाउस ऐनेक्सी, देहरादून में अध्यासित रहे हैं, जिसका मानक मासिक किराया भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है। आपके पत्र संख्या-742 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री निशंक पर कोई भी देय शेष नही है, का अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया है, के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु वांछित सूचना अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अपीलकर्ता द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पुन पत्र प्रेषित किया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण की जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

14/11/14

पंजीकृत

(12)

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी–गढ़वाल।

संख्याः– 2181/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2115 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल का नाम जनपद देहरादून की 22–मसूरी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–54 के क0सं0 761 पर अंकित है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल की 37–पौड़ी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–110–अपर बाजार वार्ड नं–4 के कम संख्या–379 पर पर नाम अंकित है।

अपने पत्र संख्या–728 दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु उप जिलाधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), पौड़ी गढ़वाल से जांच आख्या प्राप्त करने हेतु पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है, किन्तु उप जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा की गई जांच आख्या की सूचना अभी तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण की जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

14/11/14

पंजीकृत

(13)

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1—अधि. अभि.(दक्षिण) उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32—राजपुर रोड़, देहरादून।
2—अधि.अभि.विद्युत वितरण खण्ड(केन्द्रीय),उ0पा0का0लि018—ईसी रोड़, दे.दून।

संख्याः— 2182/25—14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः— **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या--2113 दिनांक 18—10—2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके जिसके द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2014 में 05—हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक को आवंटित दोनों सरकारी आवासों पर संयोजित विद्युत व जल उत्सरण बिलों का दिनांक 16 अप्रैल, 2014 तक अद्यतन भुगतान सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में जल संस्थान एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र पर आपत्ति की गई है कि उक्त प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण पर आपसे प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014

कृते उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

पंजीकृत

(14)

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल।
2–जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्याः– 2180/25–14(सू.अ.अ.)/2014

दिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2119 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल एवं उनकी पुत्र कु. अरूषी पोखरियाल के नाम तहसील श्रीनगर(गढ़वाल) एवं तहसील कोटद्वार मोटाढाक खूनीबड़ में तथा हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, शगुन प्लाजा, बाईपास रोड़ श्यामपुर, जिला देहरादून नामक संस्था जिसके अन्तर्गत वर्तमान में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, की कोषाध्यक्षा व निदेशिका है, इस संस्था को तहसील ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर टाण्डा, माजरी ग्रान्ट में राजस्व भूमि आवंटित होना अवगत कराया गया है, परन्तु उनके द्वारा नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, कि क्या उपरोक्तानुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक अथवा उनके सम्बन्धी को भूमि का आवंटन हुआ है, यदि आवंटित हो तो उसकी प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण की नियुमानुसार जांच कर जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
14/11/14

पंजीकृत

(15)

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

कुलपति,
गढ़वाल विश्व विद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल।

संख्याः–2179 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 15 नवम्बर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2114 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एम.ए. हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल व पीएचडी(मानद) दर्शायी गई है, किन्तु शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण संलग्न नहीं किये गये हैं और न ही वर्ष का उल्लेख किया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम पूर्ण किया गया है के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, जो अभी तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण को जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

15/11/2014

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
15/11/14

संख्या–2228/xxxii(2)/2014–13(2)/2009

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2014

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2178/25–14(सू0अ0)/2014, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमे आपके द्वारा श्री रमेश पोखरियाल निशंक को अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा शासकीय आवास आवंटित किये जाते हैं । यद्यपि आवंटन आदेश में उल्लिखित है कि आवंटित आवास के निर्धारित मानक मासिक किराये का भुगतान आवंटी द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग को किया जायेगा, किन्तु मा0 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में नीति/आवास के किराये की दर निर्धारित न होने के कारण विभाग द्वारा मा0 पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराया आगणित कर जमा किये जाने हेतु कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया, जिस कारण मा0 पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा किराये का भुगतान नही किया जा रहा है ।

3– उल्लेखनीय है कि मा0 पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई नीति निर्धारित/किराया आगणित नही होने के कारण शासन के पत्र संख्या–742, दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री रमेश पोखरियाल निशंक को अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह भी अवगत कराना है कि एक अन्य प्रकरण में की गयी अपील की सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि मा0 पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लेते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाये, जिसके कम में विभाग द्वारा पत्रावली उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी थी, किन्तु मा0 पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित न होने तथा प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पत्रावली प्रतीक्षा में रखने के निर्देश प्राप्त हुये । मा0 पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग में नीति निर्धारण की कार्यवाही गतिमान है । नीति निर्धारित होने के उपरान्त ही विभाग द्वारा आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहें ।

भवदीय,

28/11/14

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

27-11-14

(17)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) उत्तराखण्ड जल संस्थान

32–राजपुर रोड़, देहरादून–248001 Phone No:- 0135-2742028

जल संचय–जीवन संचय " E-mail:- eesouth-ujs-uk@nic.in

पत्रावली संख्या 70 **दिनांक 31.10.2014**

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक 164 सू0का0अधि0–2005 / 2014–15 दिनाँक 24-11-14

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुस्मरण पत्र संख्या 2187 दिनांक 14.11.2014 पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक, के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उनको आंबटित यमुना कालोनी स्थित आवास एंव सर्किट हाऊस एनेक्सी स्थित आवास के जलमूल्य देयको के संम्बन्ध मे सूचना मांगी गयी है, के कम मे अवगत कराना है कि वांछित सूचना पूर्व में कार्यालय पत्रांक 154 दिनांक 07.11.2014 के द्वारा सूचना अनुरोध कर्त्ता श्री हर्ष रतूडी, 130 / 77 कालीदास मार्ग देहरादून, को उपलब्ध करा दी गयी है । **(छायाप्रति संलग्न)** पुनः बिन्दुवार सूचना निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्याः–(क) के कम मे अवगत कराना है कि यमुना कालोनी स्थित आवास संख्या आर–4 में जल संयोजन माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री जी के नाम से स्थापित नही है।जल संयोजन सिंचाई विभाग देहरादून के नाम से स्थापित है।

बिन्दु संख्याः–(ख) के कम मे अवगत कराना है कि माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक, के नाम से सर्किट हाऊस एनेक्सी देहरादून,में जल संयोजन स्थापित था। उत्तराखण्ड शासन राज्य संम्पत्ति अनुभाग–1 संख्या 434 / XXXii / 2014–01(सात) / 2011 देहरादून दिनांक 19.03.2014 जिसकी छायाप्रति भी संलग्न है, दिनांक 18.02.2014 तक अध्यासित रहे है। माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर दिनांक18.02.2014 तक की धनराशि रू 49610.00 देय होती थी, जो उन्होने रसींद संख्या 4032776 दिनांक 05.04.2014 के द्वारा जमा करा दी गयी थी, ततपश्चात जल संस्थान देहरादून अदेयता प्रमाण पत्र संख्या 83 दिनांक 05.04.2014 जारी कर दिया गया जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0के0जैन)
लोक सूचना अधिकारी /
अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण)
उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून

(18)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) उत्तराखण्ड जल संस्थान
32–राजपुर रोड, देहरादून–248001 Phone No:- 0135-2742028
जल संचय–जीवन संचय E-mail:- eesouth-ujs-uk@nic.in

पत्रावली संख्या 70 **दिनांक 31.10.2014**

सेवा में,

श्री हर्ष रतूड़ी,
130 / 77 कालीदास मार्ग,
देहरादून ।

पत्रांक....154....... सू0का0अधि0–2005 / 2014–15 दिनाँक......3.11.14......

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 04.06.2014 जो अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि / रा) उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार, के पत्रांक 2113 दिनांक 18.10.2014 के माध्यम से शाखा को दिनांक 31.10.2014 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2:– आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विवरण की छायाप्रति संलग्न है।

3:– मांगी गयी सूचना का विवरण निम्नानुसार है।

(क) श्री रमेश पोखरियाल निशंक, के यमुना कालोनी देहरादून, के अन्तर्गत स्थित आवास संख्या आर–4 मे श्री निशंक के नाम से कोई जलसंयोजन नही है । जल संयोजन सिंचाई विभाग के नाम से है ।

(ख) श्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत सर्किट हाउस एनेक्सी मे 18 फरवरी 2014 तक अध्यासित रहे जिसका जल मूल्य बिल फरवरी 2014 तक क0 49610.00 रसीद संख्या 4132776 दिनांक 05.04.2014 द्वारा जमा कराया गया क्याकि राज्य सम्पत्ति अनुभाग से पत्र प्राप्त हुआ था कि 18 फरवरी 2014 तक का जल मूल्य बिल श्री रमेश पोखरियाल निशंक, द्वारा जमा किया जाना है ।

यदि आप मांगी गई सूचना से संन्तुष्ट नही है, तो आप विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपील कर सकते है, जिनका पता निम्नानुसार है।

नाम:– श्री एस0के0गुप्ता,
पदनाम:–महाप्रबन्धक (मुख्यालय)
पता:– उत्तराखण्ड जल संस्थान (जल भवन)
बी–ब्लाक नेहरू कालोनी देहरादून।
दूरभाष सं0:– 0135–2676260।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0के0जैन)
लोक सूचना अधिकारी /
अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण)
उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून

पृ0स0 एंव दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि:– अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि / रा) उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार का सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण)

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
देहरादून

(19)

[redacted]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) उत्तराखण्ड जल संस्थान
32—राजपुर रोड, देहरादून—248001
" जल संचय—जीवन संचय "

पत्रांक 83 / अधि.अभि.(दक्षिण) / प्रमाण पत्र / 2014—15 दिनांक 5-4-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक' पुत्र स्व० श्री परमानन्द, निवासी 37 / 1 विजय कॉलोनी, देहरादून पर मार्च 2014 तक जलमूल्य की कोई राशि देय नहीं है।

8/4/14 प्रमाणित है
अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
32,राजपुर रोड देहरादून

5-4-14
अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून

(20)

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1,
संख्या–434/xxxii/2014–01(सा०)/2011,
देहरादून: दिनांक 19 मार्च, 2014

अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण),
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
32–राजपुर रोड, देहरादून।

जलमूल्य/सीवर सीट फीस के देयकों विषयक अपने पत्र संख्या–6402/2012–13, दिनांक 28 जनवरी, 20104 एवं पत्र संख्या–6487/2013–14, दिनांक 06 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग के जलमूल्य/सीवर सीट के देयक भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चूँकि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मा0 पूर्व मुख्यमंत्रिगणों के शासकीय आवास के जलमूल्य देयक का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा नहीं किया जाता है एवं मांग/संयोजन संख्या–(**BK20005**) सर्किट हाउस, एनेक्सी में अध्यासित डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक', मा0 पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को उक्त आवास रिक्त कर दिया गया है, अतः सर्किट हाउस, एनेक्सी में स्थापित मांग/संयोजन संख्या–(**BK20005**) को मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त के स्थान पर दिनांक 19 फरवरी, 2014 से मार्च, 2014 तक की अवधि का संशोधित बीजक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त मंत्री/विधायक निवास, 9, रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, देहरादून में श्री भगत सिंह कोश्यारी, मा0 पूर्व मुख्यमंत्री जी के अध्यासित होने के कारण राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त बीजक मांग/संयोजन संख्या–(**BK20011**) मूल रूप में लौटाया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

(कृष्ण सिंह)
उप सचिव।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
32, राजपुर रोड, देहरादून

Office of the Executive Engineer
Electricity Distribution Division (Central)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
18-E.C. Road, Dehradun-248001
Phone : 0135-2653040 Fax:

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तरांखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
18–ई0सी0 रोड, देहरादून–248001
दूरभाष : 0135–2653040 फैक्स :

(21)

पत्रांक: 3524 न0वि0वि0ख0(के0) / दे0दून / सूचना / स्पीड पोस्ट दिनांक: 13/11/14

विषय :--सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि. / रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 2113 दिनांक 18.10.14 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि आवेदक श्री हर्ष रतूडी के दिनांक 19.06.14 के आवेदन पत्र की सूचना से संबंधित है, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 31.10.14 को प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री हर्ष रतूडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को आवंटित आवास यमुना कालोनी स्थित आर–4 एवं सर्किट हाउस ऐनेक्सी, देहरादून के विद्युत देयकों की सूचना से संबंधित है।

इस संबंध में उक्त विद्युत संयोजनों के देयकों की सूचना आपको संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– यथोपरि।

2661 PA
ADEO
ADM / B
18/11/14

अधिशासी अभियन्ता
वि0वि0ख0(के0),दे0दून

19-11-14

Office of the
Electricity Distribution Division (North)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
18 EC Road, Dehradun
Phone: 2652916

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि.
18 ई.सी. रोड, देहरादून
दरभाषः 2652916

वि०वि०ख०(उ)/आर–1

**Billed Amount of EE PWD Circuit House Annexie (S/C NO 071479/1/A, KCC No-25536)
w.e.f. Sept.2011 to Jan.2014**

S.No	Bill Amount	Sucharge	Total	Payment	Blance Amount
1	803540	10044	813584	259755	553829

Executive Engineer
EDD(North)

CONSUMER HISTORY FROM 27-Mar-1399 TO 13-Nov-2014

Latest Particulars

Consumer No :	CD12702120531	Category :	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD ABOVE 4KW
Name :	RAJYA SAMPATTI	Account No / CIN :	40106755843 / 03H07U000627021001205314
Father Name :		Billing Status :	Live
Address :	VIBHAG R-4 ,YAMUNA COLONY ,DEHRADUN_CENTRAL	Contracted Load :	10.00 KW
Phone / Mobile No :	/	Connected Load :	10.00 KW
Office Name :	BINDAL	Supply Release Date :	27-Mar-1399
E-mail :		Total Security Deposit :	3865.00
Meter Number :	C23177	Material Security Deposit :	0.00
Cheque Payment Allowed :	Yes	PAN Number :	
No Of AC :	0		

Latest Billing Attributes

Billing Cycle	Billing Group	Supply Voltage	Solar Heater Capacity	ED Exemption Flag	Ceiling Flag	Is Capacitor Surcharge Applicable	Is Continuous Supply	Is Seasonal Consumer	Phase
2	1		0	N	Y	N			3

Billing Attribute Changes

Changed On	Billing Cycle	Billing Group	Supply Voltage	Solar Heater Capacity	ED-Exemption Flag	Ceiling Flag	Is Capacitor Surcharge Applicable	Is Continuous Supply	Is Seasonal Consumer	Phase

NO TRANSACTIONS FOUND

Bill Details

☑ **Previous Financial Years Bill Details**

Bill Month	BillIssueDt	Bill No	Prev Stat	Prev KWH	Prev KVA	Prev KVAH	Pres Stat	Pres KWH	Pres KVA	Pres KVAH	Bill Units	Eng Chg	MCG	Fix/Dem Chg	Elec.Duty	Prov.Adj	Curr.LPS	Other Chg	Op.Bal	Bill Amt	CCBR Adj	Bal Amt
11/2014	11-11-2014	SBH01891411110681	MU	91047	0	0	MU	92304	0	0	1257	3939.50	0.00	180.00	188.55	0.00	2972.66	0.00	156968.00	164265.00	0.00	164265.00
09/2014	11-09-2014	SBH01891409110690	MU	89461	0	0	MU	91047	0	0	1586	5091.00	0.00	180.00	237.90	0.00	2832.96	0.00	148547.00	156968.00	0.00	156968.00
07/2014	10-07-2014	SBH01891407100665	MU	87770	0	0	MU	89461	0	0	1691	5458.50	0.00	180.00	253.65	0.00	2685.27	0.00	139954.00	148547.00	0.00	148547.00
05/2014	09-05-2014	SBH01891405090670	MU	87754	0	0	MU	87770	0	0	16	36.80	0.00	180.00	2.40	0.00	2679.20	0.00	137032.00	139954.00	0.00	139954.00

Bill Month	BillIssueDt	Bill No	Prev Stat	Prev KWH	Prev KVA	Prev KVAH	Pres Stat	Pres KWH	Pres KVA	Pres KVAH	Bill Units	Eng Chg	MCG	Fix/Dem Chg	Elec Duty	Prov Adj	Curr LPS	Other Chg	Op Bal	Bill Amt	CCBR Adj	Bal Amt
03/2014	11-03-2014	SBH01891403110683	MU	83869	0	0	MU	87754	0	0	3885	13137.50	0.00	180.00	582.75	0.00	2331.10	0.00	120777.00	137032.00	0.00	137032.00
01/2014	10-01-2014	[illegible]	MU	[illegible]	0	0	MU	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	120777.00	0.00	120777.00
11/2013	13-11-2013	[illegible]	MU	79879	0	0	MU	81350	0	0	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	220.65	[illegible]	[illegible]	0.00	102634.00	[illegible]	0.00	[illegible]
09/2013	09-09-2013	SBH01891309090691	MU	79148	0	0	MU	79879	0	0	731	2108.85	0.00	180.00	109.65	0.00	1919.24	0.00	98292.00	102634.00	0.00	102634.00
07/2013	10-07-2013	SBH01891307100663	MU	78344	0	0	MU	79148	0	0	804	2354.00	0.00	180.00	120.60	0.00	1860.24	0.00	94072.00	98292.00	0.00	98292.00
05/2013	08-05-2013	SBH01891305080675	MU	77779	0	0	MU	78344	0	0	565	1491.50	0.00	160.00	84.75	0.00	1816.43	0.00	90503.00	94072.00	0.00	94072.00
03/2013	13-03-2013	SBH01891303130680	MU	77313	0	0	MU	77779	0	0	466	1184.60	0.00	160.00	69.90	0.00	1780.67	0.00	87292.00	90503.00	0.00	90503.00
12/2012	12-01-2013	SBH01891301120689	MU	76522	0	0	MU	77313	0	0	791	2192.10	0.00	160.00	118.65	0.00	1718.49	1691.36	81395.00	87292.00	0.00	87292.00
10/2012	16-11-2012	SBH01891211160674	MU	76223	0	0	MU	76522	0	0	299	687.70	0.00	320.00	44.85	0.00	0.00	0.00	80310.00	81395.00	0.00	81395.00
08/2012	23-08-2012	7182652	NA	74649	0	0	MU	76223	0	0	1574	3954.85	0.00	160.00	236.10	13680.75	2143.05	0.00	87481.00	80310.00	0.00	80310.00
→ 06/2012	20-06-2012	5182412	NA	74649	0	0	NA	74649	0	0	2178	6447.55	0.00	160.00	0.00	0.00	1758.63	0.00	79099.00	87481.00	0.00	87481.00 ✓
04/2012	19-04-2012	3182096	MU	74649	0	0	NA	74649	0	0	2644	7233.20	0.00	120.00	0.00	0.00	1574.58	0.00	70163.00	79099.00	0.00	79099.00
02/2012	17-02-2012	1182077	NA	71900	0	0	MU	74649	0	0	2749	7357.20	0.00	120.00	412.35	9249.20	1608.38	0.00	69906.00	70163.00	0.00	70163.00
12/2011	17-12-2011	B181759	MU	71900	0	0	NA	71900	0	0	3364	9249.20	0.00	120.00	0.00	0.00	1373.94	0.00	59155.00	69906.00	0.00	69906.00
10/2011	20-10-2011	9181454	MU	71327	0	0	MU	71900	0	0	573	1434.40	0.00	120.00	85.95	0.00	1332.74	0.00	56174.00	59155.00	0.00	59155.00
08/2011	18-08-2011	7181516	MU	67257	0	0	MU	71327	0	0	4070	11226.00	0.00	120.00	610.50	0.00	1033.63	0.00	43176.00	56174.00	0.00	56174.00
06/2011	20-06-2011	5181688	MU	63758	0	0	MU	67257	0	0	3499	9308.00	0.00	100.00	524.85	0.00	785.21	0.00	32454.00	43176.00	0.00	43176.00
04/2011	25-04-2011	3181189	MU	58775	0	0	MU	63758	0	0	4983	12835.80	0.00	80.00	747.45	0.00	496.13	0.00	18295.00	32454.00	0.00	32454.00
02/2011	22-02-2011	1180945	MU	55067	0	0	MU	58775	0	0	3708	9520.80	0.00	80.00	556.20	0.00	1458.01	0.00	61166.00	72781.00	0.00	72781.00
12/2010	21-12-2010	B181325	MU	51706	0	0	MU	55067	0	0	3361	8618.60	0.00	80.00	504.15	0.00	1227.93	0.00	50735.00	61166.00	0.00	61166.00
10/2010	21-10-2010	9181241	MU	47968	0	0	MU	51706	0	0	3738	9598.80	0.00	80.00	560.70	0.00	971.96	0.00	39524.00	50735.00	0.00	50735.00
08/2010	20-08-2010	7181257	MU	43299	0	0	MU	47968	0	0	4669	12019.40	0.00	80.00	700.35	0.00	524.18	0.00	26200.00	39524.00	0.00	39524.00
06/2010	17-06-2010	518055X	MU	35166	0	0	MU	43299	0	0	8133	21025.80	0.00	80.00	1219.95	0.00	1384.36	0.00	78101.00	101811.00	0.00	101811.00
04/2010	22-04-2010	3180328	RDF	3025	0	0	MU	35166	0	0	32141	70710.20	0.00	80.00	4821.15	0.00	2249.42	0.00	98940.00	176801.00	0.00	176801.00
02/2010	19-02-2010	1180333	RDF	76313	0	0	RDF	14557	0	0	1007	2215.40	0.00	80.00	151.05	0.00	1671.49	0.00	97268.00	101386.00	0.00	101386.00
12/2009	18-12-2009	B180582	RDF	76313	0	0	RDF	8107	0	0	1007	2215.40	0.00	80.00	151.05	0.00	2168.84	0.00	100887.00	105502.00	0.00	105502.00
10/2009	23-10-2009	9180571	MU	76313	0	0	RDF	6557	0	0	1007	2014.00	0.00	30.00	151.05	0.00	2124.86	0.00	95905.00	100225.00	0.00	100225.00
08/2009	22-08-2009	7180137	MU	73518	0	0	MU	76313	0	0	2795	5590.00	0.00	30.00	419.25	0.00	1677.10	0.00	88189.00	95905.00	0.00	95905.00

06/2009	17-06-2009	5180053	MU	72018	0	0	MU	73518	0	0	1500	3000.00	0.00	30.00	225.00	0.00	1906.97	0.00	86822.00	91984.00	0.00	91984.00
04/2009	25-04-2009	317980X	MU	70267	0	0	MU	72018	0	0	1751	3502.00	0.00	30.00	262.65	0.00	1859.55	0.00	81168.00	86822.00	0.00	86822.00
02/2009	18-02-2009	117967X	-	68267	0	0	MU	70267	0	0	2000	4000.00	0.00	30.00	300.00	0.00	1663.95	0.00	75174.00	81168.00	0.00	81168.00
12/2008	19-12-2008	B179487	MU	65031	0	0	MU	68267	0	0	3236	6472.00	0.00	30.00	485.40	0.00	1491.46	0.00	66695.00	75174.00	0.00	75174.00
10/2008	20-10-2008	9179328	MU	61877	0	0	MU	65031	0	0	3154	6308.00	0.00	30.00	473.10	0.00	1309.57	0.00	58574.00	66695.00	0.00	66695.00
08/2008	22-08-2008	7180889	MU	58298	0	0	MU	61877	0	0	3579	7158.00	0.00	45.00	536.85	0.00	1177.88	0.00	49656.00	58574.00	0.00	58574.00
06/2008	18-06-2008	5180576	MU	57012	0	0	MU	58298	0	0	1286	2572.00	0.00	30.00	192.90	0.00	1142.95	0.00	45718.00	49656.00	0.00	49656.00
03/2008	21-03-2008	8290608	MU	54275	0	0	MU	57012	0	0	2737	5474.00	0.00	0.00	410.55	0.00	3885.35	0.00	193411.00	203181.00	0.00	203181.00
01/2008	18-01-2008	6291296	-	52360	0	0	MU	54275	0	0	1915	3830.00	0.00	0.00	287.25	0.00	3783.94	0.00	185510.00	193411.00	0.00	193411.00

Collection Details

Previous Financial Years Collection Details

Payment Date	Payment Mode	Amount	Receipt No

NO TRANSACTIONS FOUND

Bill Revision Details

Bill Month	Revision Type	Revised Date	Approved Date	Bill Revision Period		Billed Months		Bill Revision Status		Bill Units		Previous Amount						Revised By	Approved By	Remarks
				From	To	Previous	Revised	From	To	Previous	Revised	Energy Charge	Fixed/Demand Charge	ED	Curr LPS	Cl. Bal	Bill Amt			

NO TRANSACTIONS FOUND

Disconnection / Reconnection Details

Entry Date	Disconnection Date	Disconnection Reading			Status	Reason	Disconnection By	Entry Date	Reconnection Date	Reconnection Reading			Status	Reason	Reconnection By
		KWH	KVA	KVAH						KWH	KVA	KVAH			

NO TRANSACTIONS FOUND

Bill Stop / Dismantlement Details

Bill Stop / Dismantlement	Date	Readings			Status	Remarks/Reason
		KWH	KVA	KVAH		

NO TRANSACTIONS FOUND

Consumer Number Change Details

Changed On	New Scno	Old Scno	Approved By

NO TRANSACTIONS FOUND

Ownership Change Details

Changed On	Present Details		Previous Details		Approved By
	Name	Father name	Name	Father name	

NO TRANSACTIONS FOUND

Address Changes Details

Changed On	Present Address			Previous Address			Approved By
	Address1	Address2	Address3	Address1	Address2	Address3	

NO TRANSACTIONS FOUND

Category Changes Details

Entry Date	Changed On	Present Category	Previous Category	Approved By	KWH

NO TRANSACTIONS FOUND

Load Changes Details

Entry On	Changed On	Present Load	Previous Load	Approved By

NO TRANSACTIONS FOUND

Book Number Changes Details

Changed On	Present Book Number	Previous Book Number	Approved By

NO TRANSACTIONS FOUND

24

Metering Attribute Changes

Entry On	OM Date	Old - New Meter No	Old - New Meter Digit	Old - New Meter Make	Old - New MF	SBM Flag	Remarks	OM Number	Done By

NO TRANSACTIONS FOUND

Meter Changes Details

Changed On	Entry On	Approved On	Old Meter No.	New Meter No.	Old Meter Make	New Meter Make	Old Meter RDG	New Meter RDG	Old MF	New MF	Old Meter Units	Average Units	Assessed Units	Total Units	Old Mtr Status	Remarks	Approved By

NO TRANSACTIONS FOUND

Initial Reading Updated Details

Meter Change Date	Old Initial Reading	New Initial Reading	Updated On	Updated By

NO TRANSACTIONS FOUND

Check Meter Details

Installed On	Check Meter No	Actual Meter No	Finalization On	Check Meter Consumption	Actual Meter Consumption	Deviation	Calculated EC	Calculated ED	Approved EC	Approved ED	Status	Approved By

NO TRANSACTIONS FOUND

Interest On Security Deposit Details

Interest Name	Process Date	Approved Date	Levy Month	Available Security Deposit	Interest Calculated	TDS	Net Interest
ISD20132014	18-APR-2014	22-APR-2014	04/2014	[illegible]	[illegible]	0	0.00
ISD20122013	21-MAY-2013	04-JUN-2013	05/2013	3562.00	338.39	0	338.39

Additional Security Deposit Details

Financial Year	ASD Date	Required Security Deposit	Available Security Deposit	Additional Security Deposit	Net ASD Required	ASD Paid
2013-2014	18-APR-2014	11621.00	3562.00	8059.00	7756.23	0.00
2012-2013	21-MAY-2013	3901.00	3562.00	339.00	339.00	0.00

Payments against Security Deposit

Payment Date	Amount	Payment Against	Receipt No

NO TRANSACTIONS FOUND

Security Update Through CC-BR

Update Date	Updated Security	Previous Security Deposit	Remark	Approved By

NO TRANSACTIONS FOUND

Solar capacity updation

Update Date	Registration No	Load	Capacity	Request Details	Approved By

NO TRANSACTIONS FOUND

Back Close

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
18-ई.सी. रोड, देहरादून

Most Urgent

(38)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

To,
Rediff.com India Lt. Mahalaxmi Engineering Estate,
L.J. Road #1, Mahim(west) Mumbai 400016.

पत्र सं0:–2296/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांक: 06–12–2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005–अपील/शिकायत संख्या–15260 की सुनवाई दिनांक 15–12–2014 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भरे गये अपने नामांकन पत्र में अपनी ईमेल आई0डी0 का उल्लेख नहीं किया है, जबकि उनके द्वारा तीन पृथक–2 आई0डी बनाई गई है। श्री निशंक द्वारा बनाई गई तीन ईमेल आई0डी की सत्यता के सम्बन्ध में सूचना मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को दिनांक 15–12–2014 को उपलब्ध करायी जानी हैं।

(1)nishankramesh@rediffmail.com

अतः अनुरोध है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा बनाई गई उपरोक्त ईमेल आई0डी0 के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 13–12–2014 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

Most Urgent

(27)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

To,
Google India Pvt. Ltd,
Unitech Signature Tower-II
Tower-B,Sector-15, Part-II Village Silokhera Gurgaon 122001.

पत्र सं0:-2297/25-14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 06-12-2014

विषयः- **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005-अपील/शिकायत संख्या-15260 की सुनवाई दिनांक 15-12-2014 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 हेतु 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भरे गये अपने नामांकन पत्र में अपनी ईमेल आई0डी0 का उल्लेख नहीं किया है, जबकि उनके द्वारा तीन पृथक-2 आई0डी बनाई गई है। श्री निशंक द्वारा बनाई गई तीन ईमेल आई0डी की सत्यता के सम्बन्ध में सूचना मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को दिनांक 15-12-2014 को उपलब्ध करायी जानी है।

(2)Nishankramesh@gmail.com

अतः अनुरोध है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा बनाई गई उपरोक्त ईमेल आई0डी0 के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 13-12-2014 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः- मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

Most Urgent

(58)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

To,
Yahoo India Pvt. Ltd. 14th FI, Building No 8, Tower C,
DLF Cyber CityGurgaon, Haryana 122002.

पत्र सं0:–2298/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 06–12–2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005–अपील/शिकायत संख्या–15260 की सुनवाई दिनांक 15–12–2014 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भरे गये अपने नामांकन पत्र में अपनी ईमेल आई0डी0 का उल्लेख नहीं किया है, जबकि उनके द्वारा तीन पृथक–2 आई0डी बनाई गई है। श्री निशंक द्वारा बनाई गई तीन ईमेल आई0डी की सत्यता के सम्बन्ध में सूचना मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को दिनांक 15–12–2014 को उपलब्ध करायी जानी है।

dr.nishank@yahoo.co.in

अतः अनुरोध है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा बनाई गई उपरोक्त ईमेल आई0डी0 के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 13–12–2014 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल

E mail- dmcumdeopwl@gmail.com फोन– 01368–222217

संख्या 728/29–35(6)2014 दिनांक 30अक्टूबर, 2014

उपजिलाधिकारी/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार, का पंजीकृत पत्र संख्या 2115/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनॉक 18.10.2014 इस कार्यालय को दिनॉक 29.10.2014 को प्राप्त हुआ। पत्र को मूलरूप में संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त प्रकरण के संबंध में जॉच आख्या प्राप्त कर कृत कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय हरिद्वार व अपीलकर्ता श्री हर्ष रतूड़ी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः–

1– जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

2– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

RO
01-12-14

(30)

पंजीकृत

संलग्न–10

//कार्यालय लो0सू0अ0/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल//
संख्या 905 /29–35(6) /2014 दिनांक 28 नवम्बर, 2014.

उपजिलाधिकारी/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक728/29–35(6)/2014 दिनॉक 30 अक्टूबर, 2014 के साथ संलग्न जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 2115/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार का अनुस्मरण पत्र संख्या 2181/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनॉक 14 नवम्बर, 2014 मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त प्रकरण जिसमें श्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम 37–पौड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या–110 अपर बाजार वार्ड न 4 के कम संख्या–379 पर अंकित है की जॉच की जानी थी। तथा जॉच/कृत आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया था। परन्तु खेद का विषय है कि आप द्वारा जॉच आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः सन्दर्भित पत्र को मूलरूप में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि संबंधित मामले में की गई जॉचोपरान्त अविलम्ब जॉच आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्न–यथोक्त।

लोक सूचना अधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी–गढ़वाल।

प्रतिलिपिः–

1– जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को उनके अनुस्मरण पत्र संख्या 2181/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनॉक 14 नवम्बर, 2014 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

श्री धीरज क-ले
कृपया आ. कार्यवाही में
01/12/2014
ADED

E-Mail ID dmcumdeoddn@gmail.com
Tele/Fax 0135-2624216

मेल द्वारा

श्री धीरेन्द्र ... D. आ. कार्यवाही ... 05/11/2014 ADEO

(31)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या–1415 /25-10 /2014 दिनांक-01 नवम्बर, 2014.

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2115/25-14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांक 18-10-2014 जो इस कार्यालय में दिनांक 31-10-2014 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 31-01-2014 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त प्रकाशित 22-मसूरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या-54 के क्रमांक-761 पर श्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम अंकित है।

इसके अतिरिक्त लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 में श्री आर.डी.कोठियाल, जनसम्पर्क अधिकारी मा. पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा 05-हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु 22-मसूरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विजय कालोनी के मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवश्यक शुल्क चालान संख्या-231 दिनांक 10-04-2014 द्वारा जमा कर, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई है।

अतः मतदाता सूची की प्रति, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने संबंधी आवेदन व शुल्क जमा करने संबंधी चालान की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न – यथोक्त।

भवदीया,

(झरना कमठान)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा.) एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

निर्वाचक नामावली 2014 - S28 उत्तराखण्ड

(32)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति	22 - मसूरी (सामान्य)	भाग संख्या 54
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति	1 , टिहरी गढ़वाल (सामान्य)	

1 . पुनरीक्षण का विवरण

पुनरीक्षण का वर्ष	: 2013	निर्वाचक नामावली की पहचान
अर्हता की तिथि	: 01.01.2014	मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण के पश्चात ,मूल नामावली -2013 एव प्रथम तथा द्वितीय अनुपूरक सूचियों का एकीकरण
पुनरीक्षण का स्वरुप	: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	
आलेख्य प्रकाशन की तिथि	: 18.10.2013	
अंतिम प्रकाशन की तिथि	: 31.01.2014	

2 . भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण

भाग मे आने वाले अनुभाग की संख्या

1.शक्ति कालोनी वार्ड न. 7
2.विजय कालोनी वार्ड न. 7

मुख्य ग्राम	: नगर निगम देहरादून
पोस्ट ऑफिस	: हाथीबड़कला
पटवारी / लेखपाल	: करनपुर खास
कानूनगो सर्किल	: देहराखास
थाना	: गढ़ी कैन्ट
तहसील	: देहरादून
जिला	: देहरादून
पिन कोड	: 248001

3 . मतदान स्थल का विवरण

मतदान स्थल की संख्या व नाम :	54 न्यू कैन्ट रोड (क्र.सं. 1)	मतदान स्थल की विशेष हैसियत :	सामान्य
मतदान स्थल का भवन व पता :	केन्द्रीय विद्यालय हाथीबड़कला नं.2 -	इस मतदान क्षेत्र के सहायता आक्जिलरी मतदान स्थलों की संख्या :	0

4 . मतदाता की संख्या

आरंभिक क्रम संख्या	अंतिम क्रम संख्या	मतदाताओं की संख्या			
		पुरुष	महिला	अन्य	कुल
1	1121	589	531	1	1120

अनुभाग-2,विजय कालोनी वार्ड न. 7 , पोस्ट ऑफिस -हाथीबड़कला , पिन कोड -248001 , पटवारी / लेखपाल-करनपुर खास , कानूनगो सर्किल-देहराखास , थाना-गढ़ी कैन्ट, तहसील-देहरादून , ब्लॉक --------------------- , पंचायत----------

33

755 RLA0153387 नाम : रविन्द्र राणा पिता का नाम : होशियार सिंह राणा मकान संख्या : 36 बी आयु 36 लिंग : पुरूष 	756 MYC2249589 नाम : इन्दु किरण राणा पति का नाम : इश्वर सिंह राणा मकान संख्या : 36बी आयु 60 लिंग : महिला 	757 RLA0079194 नाम : प्रेमा मेहरा पति का नाम : हरीश मेहरा मकान संख्या : 36 सी आयु 48 लिंग : महिला
758 RLA0079210 नाम : चित्रार्थ मेहरा पिता का नाम : हरीश मेहरा मकान संख्या : 36सी आयु 26 लिंग : पुरूष 	759 RLA0153379 नाम : संजना राणा पति का नाम : रविन्द्र राणा मकान संख्या : 36डी आयु 30 लिंग : महिला 	760 RLA0049536 नाम : जोगेन्द्र सिंह पिता का नाम : सावन सिंह मकान संख्या : 37 आयु 93 लिंग : पुरूष
761 RLA0129585 नाम : रमेश पोखरियाल 'निशंक' पिता का नाम : परमा नंद पोखरियाल मकान संख्या : 37/1 आयु 54 लिंग : पुरूष 	762 UP/02/424/621310 नाम : देश राज यादव पिता का नाम : राम दास यादव मकान संख्या : 37/1 आयु 53 लिंग : पुरूष 	763 RLA0197459 नाम : लक्ष्मी कान्ता शर्मा पिता का नाम : कृष्ण कुमार शर्मा मकान संख्या : 37/1 आयु 51 लिंग : महिला
764 MYC2230092 नाम : विमला देवी पति का नाम : देश राज यादव मकान संख्या : 37/1 आयु 49 लिंग : महिला 	765 MYC2244440 नाम : राजेश यादव पिता का नाम : राम दास यादव मकान संख्या : 37/1 आयु 43 लिंग : पुरूष 	766 MYC2232601 नाम : नरेश कुमार यादव पिता का नाम : राम दास यादव मकान संख्या : 37/1 आयु 37 लिंग : पुरूष
767 MYC2244069 नाम : सीमा पति का नाम : राजेश यादव मकान संख्या : 37/1 आयु 37 लिंग : महिला 	768 RLA0197467 नाम : अनीता राणा पिता का नाम : जानकी प्रसाद राणा मकान संख्या : 37/1 आयु 28 लिंग : महिला 	769 RLA0049569 नाम : अरूशी निशंक पिता का नाम : रमेश पोखरियाल मकान संख्या : 37/1 आयु 27 लिंग : महिला
770 MYC2445153 नाम : जसवंत सिंह पिता का नाम : गमाल सिंह मकान संख्या : 37/1 आयु 26 लिंग : पुरूष 	771 RLA0303586 नाम : मनीष यादव पिता का नाम : देशराज यादव मकान संख्या : 37/1 आयु 24 लिंग : पुरूष 	772 RLA0303594 नाम : आशीष कुमार यादव पिता का नाम : देश राज यादव मकान संख्या : 37/1 आयु 21 लिंग : पुरूष
773 RLA0194522 नाम : गौरव शर्मा पिता का नाम : बृज राज शर्मा मकान संख्या : 37/1-1 आयु 30 लिंग : पुरूष 	774 RLA0194530 नाम : गीतिका शर्मा पिता का नाम : बृज राज शर्मा मकान संख्या : 37/1-1 आयु 30 लिंग : महिला 	775 MYC2441202 नाम : सी.ए. कोलिनसन पति का नाम : ए.सी कोलिनसन मकान संख्या : 37/2 आयु 88 लिंग : महिला
776 MYC2249928 नाम : दीपक बधवार पिता का नाम : अमरीक लाल बधवार मकान संख्या : 37/2 आयु 74 लिंग : पुरूष 	777 MYC2249357 नाम : किरण बधवार पति का नाम : दीपक बधवार मकान संख्या : 37/2 आयु 65 लिंग : महिला 	778 MYC2445393 नाम : क्रिस टीना पति का नाम : डेविड कोलिनसन मकान संख्या : 37/2 आयु 53 लिंग : महिला
779 RLA0083402 नाम : विरेन्द्र क्षेत्री पिता का नाम : पदम बहादुर क्षेत्री मकान संख्या : 37/2 आयु 40 लिंग : पुरूष 	780 RLA0083394 नाम : रीतू बधवार पिता का नाम : क.दीपक बधवार मकान संख्या : 37/2 आयु 36 लिंग : महिला 	781 RLA0083386 नाम : वरूण बधवार पिता का नाम : क.दीपक बधवार मकान संख्या : 37/2 आयु 27 लिंग : पुरूष 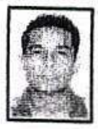

(34)

कार्यालय मा० पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'

मा० विधायक-डोईवाला

आर.डी.कोठियाल
जनसम्पर्क अधिकारी
मा० पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

डोईवाला, विधानसभा, क्षेत्र कार्यालय
जागृति विहार, नत्थनपुर, देहरादून
मो. 8909543646

121 14.15
09/4/2014

महोदय,

निवेदन है कि माननीय डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक' वर्तमान में 05–हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किये गये है और उन्हे 05–हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु मसूरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विजय कॉलोनी से उनके नाम से संशोधित निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति की आश्यकता है।

अतः उक्तानुसार निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(आर.डी.कोठियाल)

11/4/2014

जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून।

35

१४१२९७ ३५ १६

प्रपत्र संख्या–43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा: SBI मुख्य शाखा देहरादून

1. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम (तथा पदनाम, यदि आवश्यक हो): डा० रमेश पोखरियाल निशंक

2. पता: 37/2 विजय कालोनी, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग देहरादून, 22- मसूरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है): उक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से नाम का उद्धरण की प्रमाणित प्रति हेतु

5. चालान की सकल (Gross) राशि Rs. रु. ....

6. चालान की निबल (Net) राशि Rs. रु. ....

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर: 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें
02-चुनाव
10 ... अर्थ दण्ड एवं समपहरण
01-निरीक्षण फीस
02-प्रतिलिपि

8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0070	02	1 0 4	01	02	10/–
					/
					10/–

संप्रेक्षक
जिला निर्वाचन कार्यालय
देहरादून

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा देहरादून BSR 0630
10 APR 2014
(231)
Anil Bishnoi - 2605562
सरकारी प्राप्तियाँ

धनराशि (शब्दों में): रु० दस मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारीके हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
(आनन्द कोठियाल)

पृ० सं० (19)

58
59
102
118
127
128
130
132
133
138
141

E-Mail ID dmcumdeoddn@gmail.com
Tele/Fax 0135-2624216

मेल द्वारा

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या–1415 /25-10 /2014 दिनांक-01 नवम्बर, 2014.

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2115/25-14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांक 18-10-2014 जो इस कार्यालय में दिनांक 31-10-2014 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 31-01-2014 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त प्रकाशित 22-मसूरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या-54 के क्रमांक-761 पर श्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम अंकित है।

इसके अतिरिक्त लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 में श्री आर.डी.कोठियाल, जनसम्पर्क अधिकारी मा. पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा 05-हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु 22-मसूरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विजय कालोनी के मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवश्यक शुल्क चालान संख्या-231 दिनांक 10-04-2014 द्वारा जमा कर, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई है।

अतः मतदाता सूची की प्रति, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने संबंधी आवेदन व शुल्क जमा करने संबंधी चालान की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न – यथोक्त।

भवदीया,

(झरना कमठान)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा.) एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

निर्वाचक नामावली 2014 - S28 उत्तराखण्ड

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति	22 - मसूरी (सामान्य)	भाग संख्या 54
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति	1 , टिहरी गढ़वाल (सामान्य)	

1 . पुनरीक्षण का विवरण

पुनरीक्षण का वर्ष	: 2013	निर्वाचक नामावली की पहचान
अर्हता की तिथि	: 01.01.2014	मतदेय स्थलों के पुनर्निधारण के पश्चात ,मूल नामावली -2013 एव प्रथम तथा द्वितीय अनुपूरक सूचियों का एकीकरण
पुनरीक्षण का स्वरुप	: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण	
आलेख्य प्रकाशन की तिथि	: 18.10.2013	
अंतिम प्रकाशन की तिथि	: 31.01.2014	

2 . भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण

भाग मे आने वाले अनुभाग की संख्या

1.शक्ति कालोनी वार्ड न. 7
2.विजय कालोनी वार्ड न. 7

मुख्य ग्राम	: नगर निगम देहरादून
पोस्ट ऑफिस	: हाथीबड़कला
पटवारी / लेखपाल	: करनपुर खास
कानूनगो सर्किल	: देहराखास
थाना	: गढ़ी कैन्ट
तहसील	: देहरादून
जिला	: देहरादून
पिन कोड	: 248001

3 . मतदान स्थल का विवरण

मतदान स्थल की संख्या व नाम :	54 न्यू कैन्ट रोड क.नं. 1)	मतदान स्थल की विशेष हैसियत :	सामान्य
मतदान स्थल का भवन व पता :	केन्द्रीय विद्यालय हाथीबड़कला नं.2 -	इस मतदान क्षेत्र के सहायता आक्जिलरी मतदान स्थलों की संख्या :	0

4 . मतदाता की संख्या

आरंभिक क्रम संख्या	अंतिम क्रम संख्या	मतदाताओ की संख्या			
		पुरुष	महिला	अन्य	कुल
1	1121	589	531	1	1120

अनुभाग-2,विजय कालोनी वार्ड न. 7 , पोस्ट ऑफिस -हाथीबड़कला , पिन कोड -248001 , पटवारी / लेखपाल-करनपुर खास , कानूनगो सर्किल-देहराखास , थाना-गढ़ी कैन्ट, तहसील-देहरादून , ब्लॉक ----------------- , पंचायत---------

755 RLA0153387
नाम : रविन्द्र राणा
पिता का नाम : होशियार सिंह राणा
मकान संख्या : 36 बी
आयु 36 लिंग : पुरुष

756 MYC2249589
नाम : इन्दु किरण राणा
पति का नाम : इश्वर सिंह राणा
मकान संख्या : 36बी
आयु 30 लिंग : महिला

757 RLA0079194
नाम : प्रेमा मेहरा
पति का नाम : हरीश मेहरा
मकान संख्या : 36 सी
आयु 48 लिंग : महिला

758 RLA0079210
नाम : चित्रार्थ मेहरा
पिता का नाम : हरीश मेहरा
मकान संख्या : 36सी
आयु 26 लिंग : पुरुष

759 RLA0153379
नाम : संजना राणा
पति का नाम : रविन्द्र राणा
मकान संख्या : 36बी
आयु 30 लिंग : महिला

760 RLA0049536
नाम : जोगेन्द्र सिंह
पिता का नाम : सावन सिंह
मकान संख्या : 37
आयु 93 लिंग : पुरुष

761 RLA0129585
नाम : रमेश पोखरियाल 'निशंक'
पिता का नाम : परमा नंद पोखरियाल
मकान संख्या : 37/1
आयु 54 लिंग : पुरुष

762 UP/02/424/621310
नाम : देश राज यादव
पिता का नाम : राम दास यादव
मकान संख्या : 37/1
आयु 53 लिंग : पुरुष

763 RLA0197459
नाम : लक्ष्मी कान्ता शर्मा
पिता का नाम : कृष्ण कुमार शर्मा
मकान संख्या : 37/1
आयु 51 लिंग : महिला

764 MYC2230092
नाम : विमला देवी
पति का नाम : देश राज यादव
मकान संख्या : 37/1
आयु 49 लिंग : महिला

765 MYC2244440
नाम : राजेश यादव
पिता का नाम : राम दास यादव
मकान संख्या : 37/1
आयु 43 लिंग : पुरुष

766 MYC2232601
नाम : नरेश कुमार यादव
पिता का नाम : राम दास यादव
मकान संख्या : 37/1
आयु 37 लिंग : पुरुष

767 MYC2244069
नाम : सीमा
पति का नाम : राजेश यादव
मकान संख्या : 37/1
आयु 37 लिंग : महिला

768 RLA0197467
नाम : सुनीता राणा
पिता का नाम : जानकी प्रसाद राणा
मकान संख्या : 37/1
आयु 28 लिंग : महिला

769 RLA0049569
नाम : आरुशी निशंक
पिता का नाम : रमेश पोखरियाल
मकान संख्या : 37/1
आयु 27 लिंग : महिला

770 MYC2445153
नाम : जसवंत सिंह
पिता का नाम : गमाल सिंह
मकान संख्या : 37/1
आयु 26 लिंग : पुरुष

771 RLA0303586
नाम : मनीष यादव
पिता का नाम : देशराज यादव
मकान संख्या : 37/1
आयु 24 लिंग : पुरुष

772 RLA0303594
नाम : आशीष कुमार यादव
पिता का नाम : देश राज यादव
मकान संख्या : 37/1
आयु 21 लिंग : पुरुष

773 RLA0194522
नाम : गौरव शर्मा
पिता का नाम : बृज राज शर्मा
मकान संख्या : 37/1-1
आयु 30 लिंग : पुरुष

774 RLA0194530
नाम : गौतिका शर्मा
पिता का नाम : बृज राज शर्मा
मकान संख्या : 37/1-1
आयु 30 लिंग : महिला
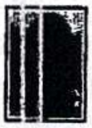

775 MYC2441202
नाम : सी.ए. कोलिनसन
पति का नाम : ए.सी कोलिनसन
मकान संख्या : 37/2
आयु 88 लिंग : महिला

776 MYC2249928
नाम : दीपक बधवार
पिता का नाम : अमरीक लाल बधवार
मकान संख्या : 37/2
आयु 74 लिंग : पुरुष

777 MYC2249357
नाम : किरण बधवार
पति का नाम : दीपक बधवार
मकान संख्या : 37/2
आयु 65 लिंग : महिला

778 MYC2445393
नाम : क्रिरस टीना
पति का नाम : डेविड कोलिनसन
मकान संख्या : 37/2
आयु 53 लिंग : महिला

779 RLA0083402
नाम : विरेन्द्र क्षेत्री
पिता का नाम : पदम बहादुर क्षेत्री
मकान संख्या : 37/2
आयु 40 लिंग : पुरुष

780 RLA0083394
नाम : रितु बधवार
पिता का नाम : क.दीपक बधवार
मकान संख्या : 37/2
आयु 36 लिंग : महिला

781 RLA0083386
नाम : वरुण बधवार
पिता का नाम : क.दीपक बधवार
मकान संख्या : 37/2
आयु 27 लिंग : पुरुष

कार्यालय मा0 पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'

मा० विधायक-डोईवाला

आर.डी.कोठियाल
जनसम्पर्क अधिकारी
मा० पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

डोईवाला, विधानसभा, क्षेत्र कार्यालय
जागृति विहार, नत्थनपुर, देहरादून
मो. 8909543646

121 1415
09/4/2014

महोदय,

निवेदन है कि माननीय डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक' वर्तमान में 05–हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किये गये है और उन्हे 05–हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु मसूरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विजय कॉलोनी से उनके नाम से संशोधित निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति की आश्यकता है।

अतः उक्तानुसार निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(आर.डी.कोठियाल)

11/4/2014

जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून।

(49)

1012973516

प्रपत्र संख्या–43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा — SBI मुख्य शाखा देहरादून

1. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम (तथा पदनाम, यदि आवश्यक हो) — डा० रमेश पोरवाल, मा० निशंक
2. पता — 37/2 विजय कालोनी, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग देहरादून, 22- मसूरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) — उक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से नाम का उद्धरण की प्रमाणित प्रति हेतु
5. चालान की सकल (Gross) राशि Rs. रु.
6. चालान की निबल (Net) राशि Rs. रु.
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर — 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-चुनाव ... 01-निरीक्षण शुल्क

8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0070	02	104	01	02	10/—
					/
					10/—

संप्रेक्षक
जिला निर्वाचन कार्यालय
देहरादून

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा B.S.R. 0630
10 APR 2014
(231)
Yamini Bishnoi 2605562 प्राप्तियां

धनराशि (शब्दों में) रु० दस मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारीके हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
(आर०डी० कोठियाल)

UW 25/11/14 पंजीकृत

(42)

// कार्यालय जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल //

संख्या–504/43–लो0सू0अ0–2005/2014–15 दिनाँक पौड़ी नवम्बर 19 2014

1–उपजिलाधिकारी,
कोटद्वार/श्रीनगर,
जनपद पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),उपजिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या–2119/25–14 (सू.अ.अ.)/2014 दिनांक 18.10.2014 के द्वारा अवगत कराया है, कि श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग,देहरादून द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 19 जून 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गयी है, कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं उनकी पुत्री कु. अरूषी पोखरियाल के नाम तहसील श्रीनगर (गढ़वाल) एवं तहसील कोटद्वार मोटाढाक खूनीबड़ में राजस्व भूमि आवंटित है, किन्तु उनके द्वारा नामांकन पत्र में उक्त स्थानों की भूमि का उल्लेख नही किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त तथ्य की निष्पक्ष जॉच हेतु अनुरोध किया गया है।

यह भी अवगत कराया है, कि मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड सूचना आयोग,देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश दिनांक 20.09.2014 में प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बंधित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह अन्दर वॉछित आख्या अपीलकर्ता को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),उपजिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा प्रेषित उक्त पत्र की छाया प्रति आपको इस आश्य से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए श्री रमेश पोखरियाल निशंक को उक्त तहसीलों में आवंटित भूमि के अभिलेखों के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें,ताकि वस्तुस्थिति से अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को अवगत कराया जा सके।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

26/11/14
ADEO

(बी.एस.चलाल)
अपर जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

ADM(F)
22/11/14

प्रतिलिपिः–अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),उपजिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को उनके उक्त पत्र के कम सूचनार्थ प्रेषित।

2– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग,देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी.एस.चलाल)
अपर जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

25/11/2014
ADEO

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल–246174 (उत्तराखण्ड)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), Uttarakhand – 246174
(A Central University)
Telephone : (01346) – 250558
Fax : (01346) – 250094
Website : www.hnbgu.ac.in
Email : drexamhnbgu@gmail.com

: Exam/ M.A/2014/ 871

08-11-2014

सेवा में

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0 / रा0)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार ।

महोदय ,

आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कृपया मांगी गयी व्यक्ति की शैक्षिक अभिलेख से सम्बन्धित सूचना का विषय उत्तीर्ण वर्ष / संस्थागत / व्यक्तिगत / अनुक्रमांक / नामांकन संख्या एवं सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान का नाम की सूचना प्राप्त होने पर ही आपको अपेक्षित सूचना प्रदान की जा सकती है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. लोक सूचना अधिकारी, हे0न0ब0ग0वि0वि0, पत्रांवली सं0 454 / 2014 / 1575 दिनांक 07.11.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

(44)

<u>पंजीकृत</u>

<u>संलग्नक-10</u>

(अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र)

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन), हरिद्वार।

संख्याः– 2276/25–14(सू.अ.)/2014 दिनांक 02–12–2014

सेवा में,

श्री हर्ष रतूड़ी,
130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून।
पिन कोड–248001।

विषयः– **RTI.2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, देहरादून का0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1592 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के साथ संलग्न आयोग के पत्र की प्रति के कम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

उक्त पत्र के कम में उपरोक्त सूचना की प्रति उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2240 दिनांक 23–11–2014 द्वारा रू0 22–00 मात्र की अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके अनुपालन में आपके द्वारा अपने पत्र दिनांक 27–11–2014 जो इस कार्यालय में दिनांक 01–12–2014 के साथ **रू0 22–00 मात्र** के पोस्टल आर्डर संलग्नक सहित प्राप्त हुए हैं।

अतः अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, देहरादून का0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1592 दिनांक 10 सितम्बर 2014 के साथ संलग्न आयोग के पत्र की प्रति के कम चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रति के **कुल 11 पृष्ठ** संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

02/12/2014

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक ज़िला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

02/12/2014

07-12-14

पंजीकृत

(45)

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार.

विषय- सूचना दस्तावेज प्राप्ति हेतु अतिरिक्त शुल्क प्रेषण

महोदय,

शीर्षांकित विषयक आपके पत्रांक 2240/25-14(सू.अ.)/2014 दिनांक 23 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में अपेक्षित धनराशि आपके पक्ष में देय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से प्रेषित है, कृपया आवेदित सूचना तत्संबन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित विहित अवधि के अन्दर उपलब्ध करवाने की कृपा करें,

श्री धीरज क.स. कृपया आ. कार्यवाही करें।
01/12/2014
ADEO

आवेदक,
[signature]
27/XI/14
(हर्ष रतूड़ी)
130/77 कालीदास मार्ग
देहरादून- 248001

27.XI.2014

संलग्नक - पोस्टल ऑर्डर सं. 16F 183693 -10/-
16F 183694 - 10/-
22O 131552 - 1/-
22O 993893 - 1/-
कुल 22/-

(46)

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को

एक रुपए की रकम THE SUM OF RUPEE ONE ONLY

रुपया 1.00 Re.

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

हर्ष रतूड़ी
देहरादून

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
हरिद्वार
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

2 20 131552

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को

एक रुपए की रकम THE SUM OF RUPEE ONE ONLY

रुपया 1.00 Re.

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

हर्ष रतूड़ी
देहरादून

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
हरिद्वार
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

1 20 993893

सूचना | NO-455 | दि. 15-11-14

15/11/14
पंजीकृत डा०
(47)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी,
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

दिनांकः 14नवम्बर, 2014

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उत्तराखण्ड सूचना अधिकार नियमावली–2013 की व्यवस्थान्तर्गत निम्नापेक्षित सूचनायें समग्र रुप में बिन्दुवार तत्संबन्धी सक्षम दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित विहित अवधि में उपलब्ध करवाए जाने का निवेदन है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 1592/XXV–21/2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त आवेदक के प्रार्थना पत्र पर जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर कृत कार्रवाई विषयक सूचना विवरण तत्संबन्धी सक्षम दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित उपलब्ध करवाएं।

सूचना प्राप्ति हेतु नियत शुल्क रु10/– की धनराशि का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 16एफ 182079 संलग्न हैं।

आवेदक,

14/XI/14

(हर्ष रतूड़ी)
130/77–कालीदास मार्ग,
देहरादून–248001
ईमेल–harshraturi@gmail.com

संलग्न : पोस्टल ऑर्डर क्रमांक : 16एफ 182079

दहा रुपये दस रुपये दश रूप्यकाणि

NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रुपए 10.00 Rs.

COMMISSION 1.00 Rs

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

हर्ष रावत
Debradun

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT हरिद्वार

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

16F 182079

(149)

पंजीकृत

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन, अनुभाग–1,
देहरादून।

संख्याः–2178 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2112 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 की प्रति एवं आपके पत्र संख्या–319 दिनांक 19 जून, 2012 की प्रति इस आशय से प्रेषित की गई थी कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवंटित आवास में दिनांक 11 सितम्बर, 2011 से 29 माह तक सपरिवार राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत सर्किट हाउस ऐनेक्सी, देहरादून में अध्यासित रहे हैं, जिसका मानक मासिक किराया भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है। आपके पत्र संख्या–742 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री निशंक पर कोई भी देय शेष नही है, का अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया है, के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु वांछित सूचना अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अपीलकर्ता द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पुन पत्र प्रेषित किया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण की जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

14/11/14

पंजीकृत (50)

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

कुलपति,
गढ़वाल विश्व विद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल।

संख्याः–2179 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 15 नवम्बर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2114 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एम.ए. हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल व पीएचडी(मानद) दर्शायी गई है, किन्तु शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण संलग्न नहीं किये गये हैं और न ही वर्ष का उल्लेख किया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम पूर्ण किया गया है, के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, जो अभी तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण की जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

ह०/–
15/11/2014
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
15/11/14

पंजीकृत

(51)

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1—जिलाधिकारी, पौड़ी—गढ़वाल।
2—जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या:— 2186/25—14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांक: 15 नवम्बर, 2014

विषय:— **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-2119 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2014 में 05—हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल एवं उनकी पुत्र कु. अरूषी पोखरियाल के नाम तहसील श्रीनगर(गढ़वाल) एवं तहसील कोटद्वार मोटाढाक खूनीबड़ में तथा हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, शगुन प्लाजा, बाईपास रोड़ श्यामपुर, जिला देहरादून नामक संस्था जिसके अन्तर्गत वर्तमान में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, की कोषाध्यक्षा व निदेशिका है, इस संस्था को तहसील ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर टाण्डा, माजरी ग्रान्ट में राजस्व भूमि आवंटित होना अवगत कराया गया है, परन्तु उनके द्वारा नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, कि क्या उपरोक्तानुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक अथवा उनके सम्बन्धी को भूमि का आवंटन हुआ है, यदि आवंटित हो तो उसकी प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण की नियुमानुसार जांच कर जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
15/11/14

पं0सं0(स0)

(52)

अनुस्मरण पत्र

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी–गढ़वाल।

संख्याः– 2181/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–2115 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल का नाम जनपद देहरादून की 22–मसूरी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–54 के क0सं0 761 पर अंकित है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल की 37–पौड़ी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–110–अपर बाजार वार्ड नं–4 के कम संख्या–379 पर पर नाम अंकित है।

अपने पत्र संख्या–728 दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु उप जिलाधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), पौड़ी गढ़वाल से जांच आख्या प्राप्त करने हेतु पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है, किन्तु उप जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा की गई जांच आख्या की सूचना अभी तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण की जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014
कृते उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
14/11/14

पंजीकृत

(53)

<u>अनुस्मरण पत्र</u>

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1—अधि. अभि.(दक्षिण),उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32—राजपुर रोड़, देहरादून।
2—अधि.अभि.विद्युत वितरण खण्ड(केन्द्रीय),उ0पा0वि0लि018—ईसी रोड़, दे.दून।

संख्याः— 2182/25—14(सू.अ.अ.)/2014

दिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः— **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या—2113 दिनांक 18—10—2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके जिसके द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2014 में 05—हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक को आवंटित दोनों सरकारी आवासों पर संयोजित विद्युत व जल उत्सरण बिलों का दिनांक 16 अप्रैल, 2014 तक अद्यतन भुगतान सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में जल संस्थान एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र पर आपत्ति की गई है कि उक्त प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण पर आपसे प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार जांचोपरान्त जांच आख्या से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

14/11/2014

कृते उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

(54)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर सचिव / राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन, अनुभाग–1,
देहरादून।

संख्याः– 2112 / 25–14(सू.अ.अ.) / 2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवंटित आवास में दिनांक 11 सितम्बर, 2011 से 29 माह तक सपरिवार राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत सर्किट हाउस ऐनेक्सी, देहरादून में अध्यासित रहे हैं, जिसका मानक मासिक किराया भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है। आपके पत्र संख्या–742 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री निशंक पर कोई भी देय शेष नही है का अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया है, के सम्बन्ध में अपीलकर्ता द्वारा उक्त अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध देयता का साक्ष्य प्रस्तुत कर आपत्ति करते हुए निश्पक्ष जाच कराने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, कि क्या श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा उक्त भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं। वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी है। अदेयता प्रमाण पत्र एवं आपत्ति की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि. / रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि. / रा.)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

55

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1–अधि. अभि.(दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32–राजपुर रोड़, देहरादून।
2–अधि.अभि.विद्युत वितरण खण्ड(केन्द्रीय),उ0पा0का0लि018–ईसी रोड़, दे.दून।

संख्याः– 2113 / 25–14(सू.अ.अ.) / 2014

दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05--हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल को आवंटित दोनों सरकारी आवासों पर संयोजित विद्युत व जल उत्सरण बिलों का दिनांक 16 अप्रैल, 2014 तक अद्यतन भुगतान सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से ~~अवगत~~ तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उक्त आवंटित आवासों का भुगतान किया गया अथवा नहीं, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 26–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके। अदेयता प्रमाण पत्र एवं आपत्ति पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि. / रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि. / रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

(56)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

कुलपति,
गढ़वाल विश्व विद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल।

संख्याः– 2114 / 25–14(सू.अ.अ.) / 2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत अपने नामांकन पत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एम.ए. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल व पीएचडी(मानद) दर्शायी गई है, किन्तु शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण संलग्न नहीं किये गये हैं और न ही वर्ष का उल्लेख किया गया जिसमें पाठयकम पूर्ण किया गया है, के सम्बन्ध में स्पष्ट जांच का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा पूर्ण की गई शैक्षणिक योग्यता एवं मानद उपाधि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का नाम व वर्ष सहित, तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि. / रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि. / रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

(57)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्याः– 2115 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल का नाम जनपद देहरादून की 22–मसूरी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–54 के क0सं0 761 पर अंकित है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल की 37–पौड़ी विधान सभा क्षेत्र की मतदेय स्थल संख्या–110–अपर बाजार वार्ड नं–4 के कम संख्या–379 पर पर नाम अंकित है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125क–मिथ्या शपथ पत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति के अन्तर्गत विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा कर उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई है।

मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके। श्री निशंक के दो पृथक–2 मतदेय स्थलों पर अंकित नामों (मतदाता पर्ची) की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(अनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

(58)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल।
2–जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्याः–2119 /25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 19 जून, 2014 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत नामांकन पत्र पर आपत्ति की गई है कि श्री रमेश पोखरियाल एवं उनकी पुत्र कु. अरुषी पोखरियाल के नाम तहसील श्रीनगर(गढ़वाल) एवं तहसील कोटद्वार मोटाढाक खूनीबड़ में तथा हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, शगुन प्लाजा, बाईपास रोड़ श्यामपुर, जिला देहरादून नामक संस्था जिसके अन्तर्गत वर्तमान में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, की कोषाध्यक्षा व निदेशिका है, इस संस्था को तहसील ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर टाण्डा, माजरी ग्रान्ट में राजस्व भूमि आवंटित होना अवगत कराया गया है, परन्तु उनके द्वारा नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त तथ्य की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा अपने अपीलीय आदेश संख्या–15543 दिनांक 20–09–2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से जांच आख्या प्राप्त कर एक माह के अन्दर वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः श्री रमेश पोखरियाल निशंक को उक्त तहसीलों के अन्तर्गत आवंटित राजस्व भूमि के अभिलेखों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 28–10–2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जा सके। अदेयता प्रमाण पत्र एवं आपत्ति पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(रवनीत चीमा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि./रा.),
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

59

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र सं0:–2123/25–14/2014 दिनांक: 30–10–2014

विषय:– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपने पत्र संख्या–1592 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या–1707 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके साथ श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून के पत्रों के सन्दर्भ में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्रों के कम में अवगत कराना है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भरे गये नामांकन पत्र के सन्दर्भ में श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा की गई आपत्ति पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 04 जून, 2014 जो इस कार्यालय में दिनांक 09–06–2014 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

उक्त आपत्ति पत्र के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 21–08–2014 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय से पत्र प्रेषित किये गये है कि अपने विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रेषित पत्रों का विवरण निम्न है:–

1–अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, दे.दून को पत्र स0–2112 दि0 18–10–2014.
2–अधि.अभि.(दक्षिण),उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32 राजपुर रोड़, दे.दून को पत्र सं0–2113 दि0 18–10–2014
3–अधि.अभि. विद्युत वितरण खण्ड(केन्द्रीय),उ.पा.का.लि.ईसी रोड, दे.दून को पत्र सं0–2113 दि0 18–10–2014
4–कुलपति, गढ़वाल विश्व विद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल को पत्र सं0–2114 दिनांक 18–10–2014
5–जिलाधिकारी पौड़ी/देहरादून को इस कार्यालय के पत्र सं0–2119 दिनांक 18–10–2014

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त कर अपीलकर्ता को एक माह के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त होने पर अपीलकर्ता श्री हर्ष रतूड़ी को सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

भवदीय,

30/10/2014

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
30/10/14

16/09/14 पंजीकृत

(68)

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक : 15543 (अपील संख्या : A(HR) - 15620 / 2014/ दिनांक : 20.9. 2014

1. लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार।

3. सुश्री रवनीत चीमा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार।

अपील संख्या : A(HR) - 15620 / 2014 : श्री हर्ष रतूड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 19 / 09 / 2014 के आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।
संलग्न : यथोपरि।

19.09.14
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : A(HR) - 15620 / 2014

समक्ष : एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार
3. सुश्री रवनीत चीमा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार

आदेश

यह द्वितीय अपील श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार के विरुद्ध दायर की गयी है जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 19 / 06 / 14 पर उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं हुयी है.

2. अपील की सुनवायी हेतु आयोग द्वारा दिनांक 02 / 09 / 14 को उभय पक्षों को नोटिस प्रेषित किये गये. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री धीरज कुमार, वरिष्ठ सहायक उपस्थित हैं. उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिखित अभिकथनों को प्रस्तुत किया गया.

3. अपीलकर्ता के द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक 19 / 06 / 14 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया था जिसमें उनके द्वारा अपने एक शिकायती पत्र दिनांक 09 / 06 / 14, जो रिटर्निंग अधिकारी 05 संसदीय क्षेत्र, हरिद्वार को प्रेषित 34 पृष्ठ के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना चाहने से सम्बन्धित था, पर की गयी कार्यवाही की प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था. लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 11 / 07 / 14 को अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी 05 संस्दीय क्षेत्र, हरिद्वार को उपलब्ध कराये गये उनके शिकायती पत्र के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही गतिमान है, तथा जांच कार्यवाही की सूचना कार्यालय में प्राप्त होने पर उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी.

4. लोक सचूना अधिकारी के उपरोक्त उत्तर के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील की गयी जिसका निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला

सत्यमेव जयते

निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि जांच शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

5. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आज जो लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है उसके पताका--घ में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/08/14 की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें उक्त प्रकरण पर जांच हेतु सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सक्षम नहीं होने के कारण अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किये जाने की संस्तुति पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है.

6. लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सुश्री रवनीत चीमा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार हैं. अतः उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पारित प्रथम अपील आदेश दिनांक 05/08/14 में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच की कार्यवाही पूर्ण करने सम्बन्धी निर्देश दिया जाना उचित नहीं है. अतः उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार/सुश्री रवनीत चीमा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 19/08/14 के अनुसार इस प्रकरण में स्वयं जांच कर एक माह के अन्दर जांच पूर्ण कर अपीलकर्ता को की गयी कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करायें. इस आदेश की प्रति सुश्री रवनीत चीमा, अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को भी अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये.

उपरोक्त निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है.

आदेश की प्रति उभय पक्षों को आदेश के अनुपालनार्थ निर्गत हो.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.

19/09/2014

19/9/14.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

Rediff

(63)

Head Office

Re...com India
Limited Mahalaxmi
Engineering Estate,
L.J. Road # 1, Mahim (West)
Mumbai 400 016.
India Tel: +91-22-61820000
Fax: +91-22-24455346
CIN-U22100MH1996PLC096007

mishankramesh@rediffmail.com

Google का ई मेल

(64)

Nishankramesh@gmail.com

India

Google Bangalore

Google India Pvt. Ltd
No. 3, RMZ Infinity - Tower E
Old Madras Road
3rd, 4th, and 5th Floors
Bangalore, 560 016
India
Phone: +91-80-67218000

Google Gurgaon

Google India Pvt Ltd
Unitech Signature Tower-II
Tower-B, Sector-15
Part-II Village Silokhera
Gurgaon 122001
India
Phone: +91-12-44512900

Google Hyderabad

Google India Pvt. Ltd
Block 1
DivyaSree Omega
Survey No. 13
Kondapur Village,
Hyderabad
Andhra Pradesh, India
Phone: +91-40-6619-3000

Google Mumbai

Google India Pvt Ltd
1st Floor
3 North Avenue
Maker Maxity
Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai, 400 051
India
Phone: +91-22-6611-7150

yahoo

(65)

Haryana

Gurgaon

Yahoo! India Pvt. Ltd. 14th Fl, Building No 8, Tower C, DLF Cyber City
Gurgaon, Haryana 122 002, IN

Karnataka

Bangalore - Bagmane

Yahoo! Software Development India Pvt. Ltd. Bagmane Tridib Block A,
Bagmane Teck Park, C.V.Raman Nagar Bangalore, 560093, IN

Bangalore - Embassy Golf Links

Yahoo! Software Development Pvt. Ltd. Torrey Pines, EGL Business Park,
Intermediate Ring Road Bangalore, 560071, IN

Bangalore - Sun River

Yahoo! Software Development Pvt. Ltd. Sunriver, EGL Business Park,
Intermediate Ring Road, Bangalore, 560 071, IN

Maharashtra

Mumbai

Yahoo! India Pvt. Ltd. Building 12, Solitaire Corporate Park, Guru Hargovindji
Marg Andheri (East) Mumbai, 400093, IN

09/06/14

सेवामें, स्पीड पोस्ट द्वारा

✓रिटर्निंग ऑफीसर,
05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
जिला निर्वाचन कार्यालय, हरिद्वार,
(उत्तराखण्ड)

दिनांक : 04 जून, 2014

महोदय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत पत्रांक 1665 / 25–14(सू.अ.) / 2014 दिनांक 31 मई, 2014, जो कि प्रार्थी को कल दिनांक 03 जून, 2014 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहे श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन प्रपत्र, शपथ पत्र व अन्य संलग्नकों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रत्याशी द्वारा चुनाव नामांकन शपथ पत्र में कुछ ऐसी जानकारियां चुनाव आयोग के संज्ञान में जानबूझकर नहीं लाई गई हैं, जिनके दस्तावेजी प्रमाण प्रार्थी के पास उपलब्ध हैं। जिनमें कुछ मुख्य जानकारियां इस प्रकार हैं:–

1. (क) श्री रमेश पोखरियाल निशंक को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तराखण्ड शासन, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 के ज्ञाप संख्या 319/xxxii(1)-2012-01(दो)-14/2011 देहरादून: दिनांक 19 जून, 2012 के माध्यम से यमुना कालोनी, देहरादून के अंतर्गत स्थित आवास संख्या–'आर–4' का आवंटन किया गया है।

(ख) श्री रमेश पोखरियाल निशंक दिनांक 11 सितम्बर, 2011 को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद से लेकर लगभग 29 माह तक सपरिवार राज्य सम्पत्ति विभाग के अंतर्गत 'सर्किट हाउस ऐनेक्सी', देहरादून में अध्यासित रहे हैं।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी की आपत्ति :

राज्य सम्पत्ति विभाग के उक्तांकित ज्ञाप के बिन्दु 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि–'आवंटित आवास के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक मासिक किराए का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग को करने तथा विद्युत व्यय तथा जल उत्सरण व्यय का भुगतान मीटर रीडिंग के आधार पर सम्बन्धित विभागों को करने का दायित्व प्रदेशन ग्रहीता / आवंटी का होगा'। (अनुलग्नक - A)

तदनुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अपने चुनाव नामांकन प्रपत्र के साथ उक्त दोनों सरकारी आवासों से सम्बन्धित– मानक मासिक किराए का भुगतान, विद्युत व जल उत्सरण बिलों के दिनांक 16अप्रैल, 2014 तक अद्यतन भुगतान सम्बन्धी 'नो ड्यूज' अर्थात 'कोई बकाया नहीं' प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया है। कृपया इस तथ्य का संज्ञान लें।

Ratnie
4/6/14

2. प्रश्नगत शपथपत्र के पृष्ठ संख्या–1 पर भाग–क के अंतर्गत क्रमांक–2 में प्रत्याशी द्वारा अपना अपना नाम 01–टिहरी संसदीय क्षेत्र में समाहित 22–विधानसभा मसूरी(सामान्य) निर्वाचन क्षेत्र में भाग सं0 54 के क्रम सं0 761 पर प्रविष्ट होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त बिन्दु में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी पर प्रार्थी की आपत्तिः

उक्त के अतिरिक्त उक्त प्रत्याशी रहे श्री रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द पोखरियाल, मतदाता पहिचान पत्र संख्या UP/02/005/0186412 उत्तराखण्ड में 'गढवाल' संसदीय क्षेत्रान्तर्गत पौड़ी विधानसभा के भाग–110, अनुभाग–2, वार्ड नं0 4, मतदाता सीरियल नं0 379, मतदान केन्द्र– कक्ष संख्या 2, डीएवी इण्टरमीडियेट कॉलेज़, पौडी के भी मतदाता हैं। दिनांक 07 मई, 2014 को सम्पन्न चुनाव हेतु श्री निशंक को इस मतदान केन्द्र पर भी मतदान हेतु चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पर्ची जारी की गई है। जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग की वेबसाईट से भी की जा सकती है। (अनुलग्नक - B)

3. प्रश्नगत शपथपत्र के पृष्ठ संख्या–2 पर भाग–क के अंतर्गत क्रमांक–3 में प्रत्याशी द्वारा अपना कोई 'ई–मेल आईडी' नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त बिन्दु में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी की आपत्ति :

उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कई अवसरों पर अपनी निम्न ई–मेल आईडी होना कई दस्तावेजों में दर्शाई गई हैं :–

(1) nishankramesh@rediffmail.com (2) nishankramesh@gmail.com (3) dr.nishank@yahoo.co.in

कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक-C)

4. शपथपत्र के पृष्ठ संख्या–6 पर भाग–'क' के अंतर्गत क्रमांक–7ख में प्रत्याशी द्वारा अपने व आश्रितों के 'स्थावर आस्तियों के ब्यौरे' के बिन्दु–(ii) में 'गैर कृषि भूमि' वाले कॉलम में 'लागू नहीं' होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त बिन्दु में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी की आपत्ति :

(अ) राजस्व विभाग, जनपद पौड़ी गढवाल द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों / साक्ष्यों / सूचनाओं के अनुसार श्री रमेश पोखरियाल निशंक को मु.आदेश जिलाधिकारी गढ़वाल के ग्रान्ट संख्या–28 / 89–90 दिनांक 23 मई, 1990 के अनुसार ग्राम–रेवड़ी, पट्टी–कटुलस्यूं, तहसील–श्रीनगर, जिला–पौड़ी गढवाल के अंतर्गत खेत नं. 380 मध्ये एक नाली (0.020है.) श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि (NON 2A ख.खा. सं. 14) रु.15000 / –प्रति नाली की दर से तीन नाली आवंटित है और राजस्व अभिलेखों में रु.60 / –वार्षिक लगान पर उक्त श्री रमेश पोखरियाल के नाम पर दर्ज है। इस राजस्व भूमि के आवंटन के सापेक्ष श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दिनांक 02 जून, 1990 को भारतीय स्टेट बैंक, पौडी गढवाल के दो चालानों के माध्यम से क्रमशः रु.15000 / – व रु.

Ratnai
4/6/14

..0/–सरकार के पक्ष में भुगतान भी किया गया है, जिसके आधार पर उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक को उक्त राजस्व भूमि आवंटित की गई है व वर्तमान में उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक-D)

(ब) राजस्व विभाग, जनपद पौड़ी गढवाल द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों/साक्ष्यों/सूचनाओं के अनुसार कु. अरुषी पोखरियाल पुत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक दिनांक 10 मार्च, 2005 से लेकर आज की तिथि तक 'नई चेतना संस्थान', पोखरियाल भवन, कोटद्वार रोड़, पौड़ी गढ़वाल नामक अपनी पारिवारिक संस्था की अध्यक्षा हैं। इससे पूर्व दिनांक 06 अप्रैल, 1990 से 10 मार्च, 2005 तक स्वयं श्री रमेश पोखरियाल निशंक अपनी उक्त पारिवारिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें प्रबन्धकारिणी के अधिकांश सदस्य उनके परिजन हैं। श्री रमेश पोखरियाल निशंक की इस पारिवारिक संस्था को तहसील कोटद्वार के अंतर्गत ग्राम–खूनीबड़, पट्टी–मोटाढांक के खसरा नं. 134 मध्ये 0.43एकड़ एवं खाता संख्या 52 के खसरा नं. 133 मध्ये 0.57एकड़ कुल एक एकड़ (20नाली) सरकारी राजस्व भूमि जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल के आदेश संख्या–1445/7–63(91–92) दिनांक भूलेख 23सितम्बर, 1992 के अनुसार बिना नजराना के रु.1200/–वार्षिक भू–कर आवंटित है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उक्त आवंटित भूमि संबन्धी नियत वार्षिक भू–कर की अदायगी की जा रही है। इस सम्पत्ति का भी कोई उल्लेख प्रश्नगत शपथपत्र में नहीं है। न ही इस संस्था की अन्य चल–अचल सम्पत्तियों का कोई उल्लेख है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक - E)

(स) राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों/साक्ष्यों/सूचनाओं के अनुसार कु. अरुषी पोखरियाल पुत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक 'हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवम् प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान', शगुन प्लाजा, बाईपास रोड़ श्यामपुर, जिला देहरादून नामक संस्था, जिसके अंतर्गत वर्तमान में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, की कोषाध्यक्षा व निदेशिका हैं। इस संस्था को तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत ग्राम–फतेहपुर टाण्डा, माजरी ग्राण्ट के खसरा नं. 248 मि. रकबा 2.510है., खसरा नं. 247 मि. रकबा 0.486है. एवम् खसरा नं. 246 मि. रकबा 1.051है. अर्थात कुल 4.047हैक्टेयर सरकारी राजस्व भूमि प्रमुख सचिव(राजस्व), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के जिलाधिकारी, देहरादून को सम्बोधित पत्रांक 253/18(1)/2005 दिनांक 22जुलाई, 2005 के अनुसार निःशुल्क आवंटित है। इस सम्पत्ति का भी कोई उल्लेख प्रश्नगत शपथपत्र में नहीं है। न ही इस संस्था की अन्य चल–अचल सम्पत्तियों का कोई उल्लेख है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक - F)

5. (क) शपथपत्र के पृष्ठ 10 के बिन्दु 10 व पृष्ठ 11 के बिन्दु 11 में श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता व उच्च शैक्षणिक अर्हता– एम.ए.,हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढवाल व पीएचडी(मानद) दर्शाई गई है। जबकि तद्संबन्धी विस्तृत विवरण वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है।

Bahni
4/6/14

...क्त बिन्दु में उल्लिखित तथ्य पर प्रार्थी की आपत्ति :

इस बिन्दु के सापेक्ष न तो उस महाविद्यालय के नाम का उल्लेख है, जहां से प्रत्याशी द्वारा उक्तांकित शिक्षा प्राप्त की गई न ही उस वर्ष का उल्लेख है, जिसमें उल्लिखित पाठ्क्रम पूर्ण किया गया है न ही तत्संबन्धी विषय का कोई उल्लेख है, जबकि शपथपत्र में यह सूचना अंकित की जानी आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि हेतु उल्लिखित विश्वविद्यालय से जुलाई, 2013 में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी, जिसका कोई भी उत्तर न तो उक्त विश्वविद्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और न ही विभागीय अपीलीय अधिकारी उपलब्ध करवा पाए, वर्तमान में प्रश्नगत प्रकरण केन्द्रीय सूचना आयोग के विचारार्थ / स्तर पर लम्बित है। कृपया इसका संज्ञान लें। (अनुलग्नक- G)

(ख)इसी प्रकार प्रत्याशी द्वारा अपने को पीएचडी(मानद) उपाधिधारक होना दर्शाया गया है किन्तु इस बिन्दु के सापेक्ष न तो विश्वविद्यालय का न ही वर्ष इत्यादि का कोई उल्लेख है, जबकि शपथपत्र में यह सूचना अंकित की जानी आवश्यक है। कृपया इसका संज्ञान लें।

उक्त पांच बिन्दुओं में वर्णित तथ्यों के आलोक में महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्तांकित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रार्थी को उक्तवर्णित आपत्तियों के सापेक्ष आपके समक्ष साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करने की महती कृपा करें व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2005 की धारा 125क 'मिथ्या शपथपत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति' के अंतर्गत उक्त श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाकर उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई करने की महती कृपा करें।

प्रसंगवश, प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिनांक 19अप्रैल, 2014 को आपके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर उक्त प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र / शपथ पत्र इत्यादि की प्रतियां उपलब्ध करवाने का लिखित निवेदन किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में प्रार्थी को इस हेतु नियत 30 दिनों के स्थान पर 45 दिनों बाद आपके कार्यालय से सूचना उपलब्ध करवाई गई, जिस कारण प्रार्थी को अपनी आपत्तियां आपके समक्ष दर्ज करवाने में इतना विलम्ब हो गया, कृपया इस तथ्य का भी संज्ञान लें।

सादर,

भवदीय,
[signature] 4/6/2014
(हर्ष रतूड़ी)
130 / 77–कालीदास मार्ग,
देहरादून –248001।

संलग्नक: 30पृष्ठों में प्रमाण

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(हर्ष रतूड़ी)

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1,
संख्या–319 / xxxii(1)-2012-01(दो)–14 / 2011
देहरादून : दिनांक 19 जून, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मंत्री आवास यमुना कॉलानी, देहरादून के अन्तर्गत स्थित आवास संख्या–आर–4 का आवंटन कब्जा प्राप्त करने की तिथि से डा0रमेश पोखरियाल 'निशंक', मा0पूर्व मुख्यमंत्री के पक्ष में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :–

1. आवास का आवंटन प्रदेशन ग्रहीता / आवंटी के जीवनकाल अथवा शासन द्वारा अन्यथा आदेश निर्गत किये जाने जो भी पहले हो, तक के लिये प्रभावी रहेगा।
2. आवंटित आवास की साज–सज्जा एव अन्य विकास / अनुरक्षण कार्य नियमानुसार / मानकानुसार राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जायेगा।
3. आवंटित आवास के संबध में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक मासिक किराये का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग को करने तथा विद्युत व्यय तथा जल उत्सरण व्यय का भुगतान मीटर रीडिंग के आधार पर संबंधित विभाग को करने का दायित्व प्रदेशन ग्रहीता / आवंटी का होगा।
4. आवंटित आवास में व्यवस्थित किसी स्थापक, सजावट, उपस्कर या अन्य वस्तु को कोई हानि या क्षति का दायित्व प्रदेशन ग्रहीता / आवंटी पर होगा और उन्हें उस हानि या क्षति के लिए ऐसे प्रतिकर का भुगतान करना होगा, जो राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

18/06/12
(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव / राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या–319 xxxii(1)-2012-01(दो)–14 / 2011,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष कार्याधिकारी, सम्बन्धित मा0पूर्व मुख्यमंत्री को मा0पूर्व मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4– समस्त निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / मा0मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त निजी सचिव, मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
7– मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग / वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी, एम0एल0ए0 ट्रांजिट हॉस्टल ।
8– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड / विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय) उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन, देहरादून।
10– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11– आवास निरीक्षक / गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(के0एस0 बिष्ट)
उप सचिव।

अनुलग्नक -(5)

Chief Electoral Officer, Uttarakhand

O AC wise

ch ⊙ District wise

elect District: 13 - Dehradun

Click on House No to get the List of Other Family members of that House No

Voter's Slip	AC No	Part No	Section No	Serial No	House No	Name (English)	Father/Husband Name	Name (Hindi)	Father/Husband Name (Hindi)	Date of Birth	Age	Gender	EPIC No
Show	22	54	2	761	37/1	Ramesh Pokhriyal Nishank	Parama Nand Pokhriyal	रमेश पोखरियाल 'निशंक'	परमा नंद पोखरियाल		54	M	RLA0129585

Search By ⊙Name OEPIC No.

ramesh pokhriya

Search

Disclaimer:: Data on this website can be downloaded and printed but in no case be reproduced and claimed as authentic document. An authentic printed copy can,however,be obtained from CEO's office or the respective office of District Election Officer
Website designed and hosted by National Informatics Centre,Uttarakhand State Unit, Dehradun.

अनुलग्नक

VOTER SLIP / मतदाता पर्ची

...me of AC	22 Mussoorie 22 मसूरी
... No	54
...m/Moholla	Vijay Colony Ward No. 7 विजय कालोनी वार्ड न. 7
Voter Serial No	761
House No	37/ 1
Name	Ramesh Pokhriyal Nishank रमेश पोखरियाल 'निशक'
Father's/Mother's/ Husband's Name	Parama Nand Pokhriyal परमा नद पोखरियाल
Sex	M
Age	54
EPIC No	RLA0129585
Polling Station No and Name	54 New Cantt Road (R.No. 1),Center School Hatibadkula No.2 54 न्यू कैन्ट रोड क.न. 1) ,केन्द्रीय विद्यालय हाथीबडकला न.2
Poll Date, Day and Time	7 May 2014 ,7:00 AM T0 6:00 PM 7 मई 2014 (बुधवार) , प्रातः 7:00 से साय 6:00 बजे तक

नोट 1 : यह वोटर स्लिप पहचान के लिए अनुमोदित अभिलेख है।

नोट 2 : यह प्रमाणिक वोटर स्लिप पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमन्य होगी।

नोट 3 : यदि इस वोटर स्लिप में मतदाता का फोटोग्राफ नही है या गलत विवरण अथवा फोटोग्राफ अंकित है ,ऐसी स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

नोट 4 : वोटर स्लिप का अनधिकृत रूप से वितरण / वोटर स्लिप (निर्वाचन सामग्री) पर किसी भी प्रकार से अनधिकृत कब्जा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एव आइ. पी. सी. के सुसगत नियमो का उल्लघन माना जायेगा,जो कारावास या जुर्माना अथवा दोनो से दंडनीय हो सकता है।

नोट 5 : मतदेय स्थल के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा(स्टिल/वीडियो/डिजिटल) और मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है

अनुलग्नक-(4) ③

Chief Electoral Officer, Uttarakhand

O AC wise

Search Type ⊙ District wise

Select District 12 - Pauri Garhwal

Click on House No to get the List of Other Family members of that House No

Voter's Slip	AC No	Part No	Section No	Serial No	House No	Name (English)	Father/Husband Name	Name (Hindi)	Father/Husband Name (Hindi)	Date of Birth	Age	Gender	EPIC No
Show	37	110	1	379	192	Dr Ramesh Pokhiriyal Nishank	Paramannd	डा. रमेश पोखिरियाल निशक	परमानन्द		49	M	UP/02/005/0186412

Search By ⊙Name OEPIC No.

dr ramesh

Search

Disclaimer:: Data on this website can be downloaded and printed but in no case be reproduced and claimed as authentic document. An authentic printed copy can,however,be obtained from CEO's office or the respective office of District Election Officer
Website designed and hosted by National Informatics Centre,Uttarakhand State Unit, Dehradun

अनुलग्नक-७

VOTER SLIP / मतदाता पर्ची

Name of AC	37 Pauri 37 पौड़ी
No	110
Gram/Moholla :	Upar Bazar W. No. 4 अपर बाजार वार्ड नं. 4
Voter Serial No	379
House No	192
Name	Dr Ramesh Pokhiriyal Nishank डा. रमेश पोखिरियाल निशंक
Father's/Mother's/ Husband's Name	Paramannd परमानन्द
Sex	M
Age	49
EPIC No	UP/02/005/0186412
Polling Station No and Name	110 Pauri R.N. 2,.V. Intermediate Collage 110 पौंडी क.स. 2 ,डी.ए.वी. इण्टरमीडिएट कालेज
Poll Date, Day and Time	7 May 2014 ,7:00 AM T0 6:00 PM 7 मई 2014 (बुधवार) , प्रात: 7:00 से साय 6:00 बजे तक

नोट 1 : यह वोटर स्लिप पहचान के लिए अनुमोदित अभिलेख है।

नोट 2 यह प्रमाणिक वोटर स्लिप पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमन्य होगी।

नोट 3 यदि इस वोटर स्लिप में मतदाता का फोटोग्राफ नही है या गलत विवरण अथवा फोटोग्राफ अंकित है ,ऐसी स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

नोट 4 वोटर स्लिप का अनधिकृत रूप से वितरण / वोटर स्लिप (निर्वाचन सामग्री) पर किसी भी प्रकार से अनधिकृत कब्जा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एव आइ. पी. सी. के सुसगत नियमो का उल्लघन माना जायेगा,जो कारावास या जुर्माना अथवा दोनो से दडनीय हो सकता है।

नोट 5 : मतदेय स्थल के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा(स्टिल/वीडियो/डिजिटल) और मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है

अनुलग्नक - (ए)

Annexure

PROFORMA

Name	DR. RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'
Sex	Male
Date of Birth	15th August, 1959
Place of Birth	Village & P.O.- Pinani, Pauri Gahrwal, Uttarakhand
Nationality	Indian
Address	37/1, Vijay Colony, Rabindranath Tagore Marg, Dehradun(Uttarakhand) Tel : 0135-2740104, 09837543339 e-mail : nishankramesh@gmail.com
Religion	Hindu
Category	General
Field of Activity	Literature, Journalism, Social Work, Politics and several creative works
Profession/ Occupation	a) Chief Editor, "Seemant Vaarta" Daily b) Minister of Health,Family Welfare, Science & Technology and Languages, Govt. of Uttarakhand
Padma Award for which name is recommended	PADMA SHREE'
Padma Award conferred if any, in the past	None

सत्यापित
11/4/2014
(प्रकाश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव
गोपन (सम्मान) अनुभाग

अनुलग्नक ⓒ

डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'

एक परिचय

नाम	–	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'
पिता का नाम	–	स्वर्गीय श्री परमानन्द पोखरियाल
माता का नाम	–	स्वर्गीय श्रीमती बिश्वेस्वरी देवी
जन्मतिथि	–	१५ अगस्त १९५९
जन्मस्थान	–	ग्राम-पिनानी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
राष्ट्रीयता	–	भारतीय
पता	–	३७/१ विजय कॉलोनी रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग देहरादून (उत्तराखण्ड) २४८००१
दूरभाष	–	०१३५-२५३१५३३, २७५५८९९
ई-मेल	–	dr.nishank@yahoo.co.in, nishankramesh@gmail.com
धर्म	–	हिन्दू (ब्राह्मण)
वर्ग	–	सामान्य
सम्प्रति	–	मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
कार्य क्षेत्र	–	साहित्य, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, राजनीति और अन्य रचनात्मक कार्य

E://Information/POOJAN/CM Sir/Resume_Hindi/

अनुलग्नक - (॥)

कार्यालय लोक सूचनाधिकारी / राजस्व उपनिरीक्षक कड़ाखू 2
तहसील कीर्तिनगर गढ़वाल

संख्या 43 / 2018 :--

प्रेषित श्री हर्ष रतूड़ी निवासी 130/77 कालीदास मार्ग देहरादून
आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत चाही गयी
सूचना बिन्दुवार निम्नवत है,

बिन्दु सं० 1 - उत्तर प्रदेश सरकार के समय वर्ष 1989-90 में श्री
रमेश पोखरियाल प्रधान सम्पादक दैनिक सीमान्त वार्ता के
नाम से ग्राम रेवड़ी, पट्टी - कड़ाखू तहसील कीर्तिनगर अन्तर्गत
खेत नं० 380 में से एक नाली (0.020 हे०) भूमि 60.00 रुपये
वार्षिक लगान पर स्वीकृत दर्ज है नकल खतौनी N.2.A सलग्न है

बिन्दु सं० 2 :- उक्त स्वीकृत एक नाली भूमि ग्राम रेवड़ी, पट्टी कड़ाखू
तहसील कीर्तिनगर के अन्तर्गत 60.00 रु० वार्षिक लगान पर
आवंटित हुई है, दस्तावेजों की नकल व मूल प्रार्थना पत्र व
आवंटन की प्रक्रिया के दस्तावेज राजस्व उपनिरीक्षक कार्यालय
में नहीं है, वरन सूचना ग्राम के NON. 2.A ख० खा० सं० 14
श्रेणी 10(4) मद्दे में दर्ज आदेश के अनुसार दी जा रही है,

बिन्दु सं० 3 - उक्त भूमि अभिलेखों में श्री रमेश पोखरियाल प्रधान सम्पादक
दैनिक सीमान्त वार्ता के नाम से दर्ज है, पदाधिकारियों के सम्बन्ध
में कोई सूचना कार्यालय में नहीं है

बिन्दु सं० 4 :- वर्तमान में भूमि पर किसी संस्था का कोई कब्जा नहीं है
भूमि मौके पर बंजर है.

बिन्दु सं० 5 :- उक्त भूमि 60.00 वार्षिक लगान प्रति एक नाली की दर से
आवंटित हुई है भूमि का वर्तमान सरकारी मूल्य 1573/रु० प्रति वर्ग मीटर है

बिन्दु सं० 6 :- भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में नहीं है.
अतः तत्सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराना सम्भव
नहीं है. वर्तमान में भूमि खाली (बंजर) है.

अतः सूचना उपलब्धानुसार सेवा में प्रेषित है,

अपीलीय अधिकारी का पता :- श्री . एस . एस . रावत
राजस्व निरीक्षक तहसील कीर्तिनगर
गढ़वाल

लो० सू० अ० / रा० उ० नि०
कड़ाखू 2
4/9/18
(हस्ताक्षर)

अनुलग्नक -(7)

नकल खतौनी NON.Z.A.

ग्राम - रेखड़ी, पट्टी - कड़ूलस्यूं तहसील - श्रीनगर गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8 to 20	21
		श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि,					नु० आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के ग्रान्ट संख्या 28/89-90 दिनांक 23.5.90 के खेत नं० 380 मध्ये एकनाली भूमि - 60=00 वार्षिक लगान पर श्री रमेश पोखरियाल प्रधान सम्पादक दैनिक सीमान्तवार्ता पौड़ी के नाम दर्ज किया SdK अस्पष्ट 15/10/90,	
	14	मदिर		5	0.098	सड़क		
				x	x			
				x	x			
				380	0.241	खण्डहर		
				x	x			
				x	x			
				x	x			
				487	0.023			
			योग	79	6.081	-		

सत्यप्रति प्रमाणित

D. P. Doonda(?) 1/9/13
(R.S.I.)
Patty Kadoolsyun
Teh. Srinagar
Distt. Garhwal

(1)

कार्यालय लोक सूचनाधिकारी / राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी मल्ला [illegible] 2
तहसील थलीसैंण गढ़वाल

संख्या 43 / 2018 : -

आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत चाही गयी
सूचना बिन्दुवार निम्नवत है,

बिन्दु सं० 1 - उत्तर प्रदेश सरकार के समय वर्ष 1989-90 में श्री
रमेश पोखरियाल प्रधान सम्पादक दैनिक सीमान्त वार्ता के
नाम से ग्राम रेवड़ी, पट्टी मल्ला [illegible] तहसील थलीसैंण अन्तर्गत
खेत नं० 380 मध्ये एक नाली (0.020 हे०) भूमि 60.00 रुपये
वार्षिक लगान पर स्वीकृत दर्ज है नकल खतौनी N.2-A संलग्न है।

बिन्दु सं० 2 :- उक्त स्वीकृत एक नाली भूमि ग्राम रेवड़ी, पट्टी [illegible] तहसील थलीसैंण के अन्तर्गत 60.00 रु० वार्षिक लगान पर
आवंटित हुई है, दस्तावेजों की नकल व भुगतान प्रमाण पत्र व
आवंटन की प्रति के बावजूद राजस्व उपनिरीक्षक कार्यालय
में नहीं है, परन्तु सूचना ग्राम के NON-Z-A खतौनी सं० 14
की 10 (4) मद में दर्ज आदेश के अनुसार दी जा रही है,

बिन्दु सं० 3 :- उक्त भूमि अभिलेखों में श्री रमेश पोखरियाल प्रधान सम्पादक
दैनिक सीमान्त वार्ता के नाम से दर्ज है, पदाधिकारियों से सम्बन्ध
ऐसी कोई सूचना कार्यालय में नहीं है

बिन्दु सं० 4 :- वर्तमान में भूमि पर किसी का कब्जा या कोई मकान नहीं है
भूमि मौके पर बंजर है.

बिन्दु सं० 5 :- उक्त भूमि 60.00 वार्षिक लगान प्रति एक नाली की दर से
आवंटित हुई है भूमि का सरकारी मूल्य 1573/रु० प्रति वर्ग मीटर है

बिन्दु सं० 6 :- भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में नहीं है.
अतः तत्सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराना सम्भव
नहीं है. वर्तमान में भूमि खाली (बंजर) है.

अपीलीय अधिकारी का पता :- श्री . एस. एस. रावत
राजस्व निरीक्षक तहसील थलीसैंण
गढ़वाल

आपका सूचना उपलब्ध सेवा में प्रेषित है,

लो० सू० अ० / रा० उ० नि०
[illegible] 2
[illegible]

सूचना अधिकार के तहत 28/89-90 (11)

नमूना (म)

सार० डी० प्रपत्र सं० 333

[illegible] मुकदमात माल वास्ते मामूली मुकदमात जो, जिनकी मियाद तलफ 3 साल से ज्यादा नहीं है

1—[illegible] [illegible]
2—सिलसिलेवार नम्बर [illegible]
3—उनवान [illegible]
4—नम्बर मुकदमात 28/89-90 [illegible]
5—मौजा [illegible]
6—[illegible]
7—[illegible]
8—[illegible]
9—नाम अदालत [illegible]
10—तारीख फैसला 23-5-1990

तारीख मुहाफिजखाने में दाखिल करने की
नम्बर [illegible]
नम्बर सिलसिलेवार मुन्दर्जा फेहरिस्त मुकदमात गोशवारा
नम्बर सिलसिलेवार [illegible] रोजनामचा

साल [illegible]

साल, जिसमें मसी (बे) तलफ की जायेगी
साल, जिसमें मसी (बे) तलफ की गई
दस्तखत

साल, जिसमें मसी (अलिफ) तलफ की जायेगी

फेहरिस्त मिसिल [illegible] कागज

सिलसिलेवार नम्बर कागज	किस्म कागज	तादाद औराक: मसी (अलिफ)	मसी (बे)	स्टाम्प रसूम अदालत: तादाद स्टाम्प	कीमत	तारीख मिसिल में शामिल करने की	कैफियत
1	फेहरिस्त	1	-	-	-	23-7-90	
2	[illegible]	1	-	-	-	4-6-90	
3	[illegible]	1	-	-	-		
4	[illegible]	6	-			13-6-90	
5	[illegible] 47 व 48 [illegible] 2-6-92 [illegible] 15000/- [illegible]	2		-		2-6-92	
6	[illegible]	1	-	-	-	23-5-90	
7	[illegible]	2	-		-	14-7-92	
8	[illegible]	1	-		-	16-5-92	
9	[illegible]	1	-	-	-	12-4-92	
10	[illegible] 273/19.4.92	1	-	—		[illegible]	
11	[illegible] 89-90	1	—	—	—	[illegible]	
12	[illegible]	1	—	—	—		
13	[illegible] 15-7-92	1	-	-	—	28-7-92	
14	[illegible]	1	—	—	—		
15	नक्शा [illegible]	5	-	-	-	15-3-92	
16	[illegible]		—	—	—		

[illegible] 25,00,000 (आठ)।

प्रमाणित [illegible]
17/4/90

छाया प्रति प्रमाणित
3/11/13

पेशकार
भूमि प्रबन्ध कार्यालय
पौड़ी गढ़वाल

(15)

(क्र.5)

जमाकर्ता कापी
Depositor Copy

[illegible] पौड़ी

किसने जमा किया	किसके नाम से [illegible]	किस [illegible]	धनराशि जो जमा की गई	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6
(47)	श्री [illegible] प्रभारी [illegible] ट्रेनिंग [illegible]	[illegible] नजूल [illegible] की [illegible]	15000/- 15000=00	[illegible]	तहसीलदार पौड़ी गढ़वाल 1.6.90

भारतीय स्टेट बैंक/State Bank
- 2 JUN 1990
रोकड़ अधिकारी/Cash Officer

[illegible] पन्द्रह हजार रुपये मात्र

छायाप्रति प्रमाणित
3/10/13
पेशकार
भूमि प्रबन्ध कार्यालय
पौड़ी गढ़वाल

(21)

(व 5/1)

भारतीय स्टेट बैंक – पौड़ी

जमाकर्ता कापी
Depositor Copy

किसके द्वारा जमा किया	[illegible] जमा किया	किस चालान जमा किया	धनराशि जो जमा की	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6
	श्री [illegible] पौड़ी गढ़वाल [illegible]	गवर्नमेंट ग्राम सेवक के [illegible] जमा मई 1990 ग्राम [illegible] पट्टी [illegible]	60=00	0029 [illegible]	
			60=00		

प्राप्ति (नकद) Receipt (Cash)
भारतीय स्टेट बैंक/For S.B.I.
-2 JUN 1990
रोकड़ अधिकारी/Cash Officer
शाखा पौड़ी/Br. Pauri
Serial No. .... रोकड़िया Cashier

[illegible] साठ रुपये मात्र

तहसीलदार
पौड़ी गढ़वाल
1.6.90

छाया प्रति प्रमाणित
3/10/13
[illegible]
(भूमि प्रबन्ध [illegible]
पौड़ी गढ़वाल

(अ ०)

कार्यालय तहसीलदार, पौड़ी गढ़वाल.
संख्या :- [illegible] / ३१० [illegible] - ९० दिनांक [illegible] ०१, १९९०

प्रभारी
[illegible] २

विषय :- श्री [illegible] प्रधान सम्पादक सीमान्त वार्ता पौड़ी को [illegible] रेखवी पट्टी [illegible] नगर [illegible] लगाने हेतु [illegible] रेखवी पट्टी [illegible] [illegible] के अधीन प्रति [illegible] स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय के क्रम में आपको [illegible] लिखा जाता है कि [illegible] [illegible] अधिकारी महोदय गढ़वाल के [illegible] [illegible] प्रधान सम्पादक सीमान्त [illegible] दि० २३.५.९० [illegible] [illegible] करने हेतु [illegible] के [illegible] रेखवी पट्टी [illegible] [illegible] [illegible] १८० [illegible] १३८० [illegible] [illegible] लगान [illegible] ४५००० /- नजराना [illegible] [illegible] जिलाधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] १५०००/- [illegible] नजराना जमा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जायगा ।

[illegible] प्रधान सम्पादक सीमान्त वार्ता द्वारा [illegible] के १५४००/- नजराना जमा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सीमांकन [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सम्पादक [illegible] सीमान्त वार्ता पौड़ी [illegible] [illegible] प्रति [illegible] [illegible] [illegible] प्रति आपको आवश्यक [illegible] हेतु भेजी जाती है.

भवदीय
[illegible]

[illegible] १.६.९०
तहसीलदार
पौड़ी

एक प्राति नक्शा सहित पटवारी हेतु प्रेषित
[illegible]
१.६.९०

[illegible] ३/१०/१३
[illegible]
भूमि प्रबंध कार्यालय
पौड़ी गढ़वाल

।। न्यायालय जिला अधिकारी गढ़वाल ।।

ग्रान्ट संख्या- 28 /89--90 दिनांक:पौड़ी:मई 23 , 1990.

<u>आदेश</u>

प्रधान सम्पादक, दैनिक सीमान्त वार्ता, पौड़ी ने आवेदन-पत्र
प्रस्तुत किया है कि उन्हें दैनिक सीमान्त वार्ता को श्रीनगर से प्रकाशित
एवं मुद्रित करने हेतु कम्प्यूटर आफसेट लगाने के लिये ग्राम रेवड़ी पट्टी
कटूलस्यूँ में उत्तर प्रदेश सरकार के०हि० खेत संख्या-380 मध्ये तीन नाली
भूमि गवर्नमेन्ट ग्रान्टस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत की जाय। प्रार्थी के
आवेदन-पत्र पर तहसीलदार, पौड़ी से जाँच करायी गयी। तहसीलदार
पौड़ी ने नियमानुसार जाँच कर आख्या दी कि प्रस्तावित भूमि पर मौके
पर कोई वृक्ष आदि नही हैं और यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भी
नहीं है। प्रस्तावित स्थल का नक्शा, खसरा, खतौनी की प्रतियाँ तहसीलदार,
पौड़ी द्वारा प्रस्तुत की गयी। इस भूमि को उनके द्वारा कम्प्यूटर आफसेट
लगाने हेतु स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है। भूमि के वर्तमान
बाजार भाव के सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस
भूमि की वर्तमान दर 15,000-00 रुपये प्रति नाली है जिससे 3 नाली
भूमि का नजराना रुपये 45,000-00 होता है। अब इसकी प्रस्तावित दर
रुपये 20,000-00 प्रति नाली किया गया है।

2- भूमि का लगान एवं प्रीमियम देने के सम्बन्ध में प्रधान सम्पादक,
सीमान्त वार्ता से सहमति प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अपनी लिखित
सहमति में अवगत कराया गया कि वे भूमि का वर्तमान बाजार दर
नजराना देने के लिये सहमत हैं किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि
वे साथ उक्त राशि को अदा कर सकें। अतएव उन्हें इस धनराशि को तीन
किस्तों में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाय। इस प्रकार आवेदक
द्वारा एक बार में केवल 15000-00 प्रीमियम देने की ही स्वीकृति/सहमति
दी गयी है। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एक वर्ष अन्दर नजराने की
पूर्ण राशि का अदा कर सकते हैं।

3- अतएव प्रधान सम्पादक, सीमान्त वार्ता पौड़ी के नाम पर
दैनिक सीमान्त वार्ता को श्रीनगर से प्रकाशित एवं मुद्रित करने हेतु कम्प्यूटर
आफसेट लगाने के प्रयोजन हेतु ग्राम रेवड़ी पट्टी कटूलस्यूँ के सरकार के०हि०
खेत संख्या-380 मध्ये 3 नाली भूमि 180-00 (एक सौ अस्सी) रुपये वार्षिक
लगान तथा रुपये 45,000-00 (पैंतालिस हजार) नजराने पर स्वीकृत की
जाती है। एक बार में रुपये 15,000-00 नजराना जमा होने पर पट्टा
केवल एक नाली के लिये ही तैयार किया जायेगा और आगे जिस तरह
नजराने की राशि जमा होगी उसी तरह एक-एक नाली का पट्टा निर्गत
किया जायेगा। नजराने की सम्पूर्ण राशि आवेदक द्वारा एक वर्ष अन्दर
जमा की जायेगी। इस भूमि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन हेतु ही किया
जायेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं की
जायेगी। इस स्वीकृत भूमि का उपयोग भूमि के सीमांकन करने एवं कब्जा

-2-

(24)

-2-

देने की तिथि से एक बर्ष अन्दर करना अनिवार्य होगा। परगनाधिकारी, बारहस्पूँ आवेदक द्वारा नजराने की धनराशि जमा होने पर उपरोक्तानुसार पट्टा भरवायें एवं अमलदरामद आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नजराने की राशि जमा होने पर नजराने के अनुसार पट्टा निर्गत किया जायेगा+ एवं तदनुसार भूमि का कब्जा भी आवेदक को दिया जावेगा।

§ शैलेश कृष्ण §
जिला अधिकारी, गढ़वाल।

(शीघ्र)

तहसीलदार, पौड़ी

कृ. निर्धारित प्रारूप पर नजराना जमा होने के पश्चात पट्टा तैयार करवाकर सभी औपचारिकताओं के उपरान्त पत्रावली तुरन्त प्रस्तुत करें,

परगनाधिकारी
(खा.) पौड़ी
26/5/90

र. का.
कृ. सभी औपचारिकताएं
पूर्ण करें।

तहसीलदार
25/5/90

भूमि प्रबन्ध कार्यालय
पौड़ी गढ़वाल

(20)

अनुलग्नक (2)

पंजीकृत

प्रपत्र–10

//कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/बरि0प्रशा0अधि0 तहसील कोटद्वार//

संख्या– 65/2013–लो0सू0अ0– दिनांक कोटद्वार अगस्त 14 ,2013

श्री हर्ष रतूडी,
निवासी 130/77 कालीदास मार्ग,
देहरादून–248001

बिषयः– **सूचना अधिकार अधि0अधिनियम 2005 के तहत सूचना का प्रेषण ।**

उपरोक्त बिषयक आप द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र जो कि लोक सूचना अधिकारी/ बरि0प्रशा0अधि0,जिला कार्यालय पौडी गढवल के पत्र सं0–48/2013–14 दिनांक 23जुलाई,2013 से इस कार्यालय को दिनांक 23–7–2013 को प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लिखित विन्दु के संबध में तहसील कार्यालय कोटद्वार में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो द्वितीय से प्राप्त की गई। रजि0कानूनगो से प्राप्त सूचना निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:–

विन्दु सं0–1 विन्दु सं0– के संबध में अवगत कराना है कि तहसील कोटद्वार अन्तर्गत ग्राम खूनीबड पट्टी मोटाढांक के आर–6 पंजिका वर्ष 1991 से 95 तक में नव राह नई चेतना संस्थान जनपद पौडी गढवाल के नाम ग्राम खूनीबड के खसरा संख्या–134 मध्ये 0.43 एकड एवं खाता संख्या–52 के खसरा नम्बर– 133मध्ये 0.57एकड कुल एक एकड(20नाली) भूमि दर्ज है,जिसमें किसी राजनेता के नाम का उल्लेख नहीं है।

विन्दु सं0–2 विन्दु स0–2 के संबध में अवगत कराना है कि ग्राम खूनीबड पट्टी मोटाढांक के खसरा संख्या–134मध्ये 0.43 एकड तथा खसरा सं0–134मध्ये 0.57एकड कुल 01एकड भूमि जिलाधिकारी महोदय गढवल के आदेश सं0–1445/7–63(91–92) दिनांक भूलेख 23–9–92 एवं संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ अनुभाग–4, पत्र सं0–143/8/90(153). रा–4, दिनांक 9अप्रेल,1992 के द्वारा नवराह नई चेतना संस्थान जनपद पौडी गढवाल के नाम बिना नजराना के 1200–00वार्षिक भू–कर स्वीकृत की गई है। यह भी अवगत कराना है कि संस्था की ओर से सरकारी भूमि आंबटन हेतु प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र से अंतिम आंबटन प्रकिया तक के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है

विन्दु सं0–3 विन्दु संख्या–3 से संबधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

विन्दु सं0–4 तद्विषयक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं ।

1– इस विन्दु के संबध में सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

2– अभिलेख उपलब्ध नही हैं ।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असन्तुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है अपील दायर कर सकते है।

अपीलीय अधिकारी का पता
श्री बेदपालसिंह
तहसीलदार
कोटद्वार ।

14/8/13

लोक सू0अधि0/बरि0प्रशा0अधि0,
तहसील कोटद्वार

लोक सूचना अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
तहसील कोटद्वार

(21)

6 28

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

NON JUDICIAL

20AA 150322

UTTARAKHAND

शपथपत्र

समक्ष:– उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, पौड़ी गढ़वाल।

शपथपत्र ओर से कु0 आरुषि पोखरियाल पुत्री श्री रमेश पोखरियाल 37/1, रविन्द्रनाथ टेगोर मार्ग, विजय कॉलोनी, जिला देहरादून।

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि :–

1. यह कि मै समिति नई चेतना संस्थान की अध्यक्षा हूँ।
2. यह कि संलग्न सूची में दिये गये प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम व पते सही है।
3. यह कि समिति भविष्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 4(1) का पालन करेगी।
4. यह कि समिति की प्रबन्ध समिति में चुनाव सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है और यदि कोई विवाद पाया जाता है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होउंगी।
5. यह कि समिति को अभी तक किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

............हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं उपरोक्त शपथकर्ता बयान करती हूँ कि उपरोकत सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य व सही हैं। इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और कोई भी गलत जानकारी आदि नहीं दी गई है। दिनांक 27–04–2013 को स्थान देहरादून, उत्तराखण्ड।

............हस्ताक्षर शपथकर्ता

This affidavit is sworn before me by Shri .... who is identified by .... at Dehradun on ....

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.

22

नई चेतना संस्थान
पोखरियाल भवन कोटद्वार रोड़
जिला पौड़ी गढ़वाल

समिति की वार्षिक बैठक का विवरण

दिनांक 03 मार्च 2010 को समिति नई चेतना संस्थान की वार्षिक बैठक समिति के रजिस्टर्ड कार्यालय पोखरियाल भवन कोटद्वार रोड़ जिला पौड़ी गढ़वाल में की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे—

1. कु0 आरुषि पोखरियाल	2. श्री डा0 श्यामधर तिवारी	3. श्रीमती कुसुम कान्ता
4. श्री विनोद नौटियाल	5. श्री गिरीराज शर्मा	6. श्री शशीकान्त
7. सुश्री लक्ष्मी कान्ता	8. श्री राम चन्द्र	9. श्री अनिल कुमार
10. श्री आकाश बछेती	11. श्री मनोज	12. श्री जयदेव सुन्दरियाल
13. श्री सर्वेश उनियाल		

बैठक का एजेन्डा —

1. नई कार्यकारिणी का चुनाव।
2. चयनित कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव।

प्रस्ताव सं0 1
पिछली कार्यवाही सभी सदस्यों को सुनायी गयी जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया।

प्रस्ताव सं0 2
कु0 आरुषि पोखरियाल जी द्वारा सभी सदस्यों को पिछले वर्ष में हुई प्रगति को पढकर सुनाया गया तथा नई कार्यकारिणी सदस्यों के नामों हेतु हेतु आमंत्रण किया गया।

कु0 आरुषि पोखरियाल जी द्वारा यह बताया गया कि कुछ सदस्य श्री श्यामधर तिवारी, श्रीमती कुसुम कान्ता, श्री राम चन्द्र एवं अनिल कुमार समिति को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री आकाश बछेती, मनोज, जयदेव सुन्दरियाल एवं सर्वेश उनियाल जी को साधारण सदस्य बनाते हुए कार्यकारिणी का चुनाव किया जाये।

अतः कार्यकारिणी सदस्यों में पदाधिकारियों हेतु श्रीमती कुसुम कान्ता जी द्वारा सचिव पद हेतु श्री आकाश बछेती जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया जिसे श्री सर्वेश उनियाल जी द्वारा समर्थन दिया गया। अतः सर्वसम्मति से श्री आकाश बछेती जी को सचिव पद हेतु चुना गया। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री जयदेव सुन्दरियाल जी द्वारा श्री गिरीराज शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया जिसे श्री आकाश बछेती जी द्वारा समर्थन दिया गया। अतः समिति के कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री गिरीराज शर्मा जी को चुना गया तथा
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री शशिकान्त पोखरियाल, श्री मनोज, श्री जयदेव सुन्दरियाल, श्री सर्वेश उनियाल, सुश्री लक्ष्मी कान्ता एवं श्री विनोद नौटियाल जी कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे।

सर्वेश
RBachheti
Anoj
Giri Raj
लक्ष्मी कान्ता
Kumar
शशीकान्त

(27)

(5)

नई चेतना संस्थान
पोखरियाल भवन कोटद्वार रोड़
जिला पौड़ी गढ़वाल

अतः समिति के प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये–

1. कु0 आरुषि पोखरियाल – अध्यक्षा
2. श्री आकाश बछेती – सचिव
3. श्री गिरीराज शर्मा – कोषाध्यक्ष
4. श्री शशिकान्त पोखरियाल – सदस्य
5. श्री मनोज – सदस्य
6. श्री जयदेव सुन्दरियाल – सदस्य
7. श्री सर्वेश उनियाल – सदस्य
8. सुश्री लक्ष्मी कान्ता – सदस्य
9. श्री विनोद नौटियाल – सदस्य

सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गयी।

सभा अध्यक्षा कु0 आरुषि पोखरियाल जी द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया और सभा समापन की घोषणा की गयी।

सर्वेश

लक्ष्मी कान्ता

(26)

नवराह नई चेतना संस्थान
पोखरियाल भवन कोटद्वार रोड़
जिला पौड़ी गढ़वाल

नवराह नई चेतना संस्थान
पोखरियाल भवन, कोटद्वार रोड,
जिला पौड़ी गढ़वाल।

प्रबन्धकारिणी सदस्यों की सूची (वर्ष 2013–2014)

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
01.	सुश्री आरुषि पोखरियाल	डा0 रमेश पोखरियाल निशंक	37 / 1 रबिन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, विजय कालोनी देहरादून।	नौकरी	अध्यक्ष
02.	श्री आकाश बछेती	श्री देवी प्रसाद बछेती	होली ऐंजल सीनि0 सेकेन्डरी स्कूल, रेशम माजरी डोईवाला, देहरादून।	नौकरी	सचिव
03.	श्री गिरीराज शर्मा	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	मकान नं0 135 ग्राम काशी रामपुर तहसील कोटद्वार।	नौकरी	कोषाध्यक्ष
04.	श्री शशिकान्त पोखरियाल	श्री प्रेमानन्द पोखरियाल	मकान नं0 78816 आवास विकास कालोनी वीरभद्र ऋषिकेश।	नौकरी	सदस्य
05.	श्री मनोज	श्री शशिकान्त	70, मनु कुंज, स्मिथ नगर प्रेमनगर जिला देहरादून।	व्यापार	सदस्य
06.	श्री जयदेव सुन्दरियाल	श्री मंगल लाल सुन्दरियाल	52/2 टी स्टेट, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।	व्यापार	सदस्य
07.	श्री सर्वेश उनियाल	श्री एम0एल0 उनियाल	ग्वालदम, चमोली।	नौकरी	सदस्य
08.	सुश्री लक्ष्मी कान्ता	श्री कृष्ण	कान्ता भवन, श्रीनगर, गढ़वाल	अधिरत	सदस्य
09.	श्री विनोद नौटियाल	श्री गोवर्द्धन प्रसाद	पावर हाउस के पीछे, पौड़ी गढ़वाल	वकालत	सदस्य

कार्यकर्ता

179

हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान

HIMALAYIYA AYURVEDIC YOG EVAM PRAKARTIK CHIKITSA SANSTHAN
SHAGUN PLAZA, BYPASS ROAD, SHYMPUR, DIST- DEHRADUN UTTARAKHAND,
PHONE NO. 0135-3200859

NAME OF MEMBERS OF THE GOVERNING BODY (2012-13)
(Executive Committee)

S.No	Name	Father/ Husband Name	Address	Occupation	Designation
1	Dr. Pradeep Kumar	Sh. Anand Swaroop Bhardwaj	E-107, Nehru Colony, Dehradun	Medical Educationist	Chairman
2	Smt. Rani Pant	Sh. V.K.Pant	51 A/304, Rajpur Road, Dalanwala, Dehradun	House Wife	Vice Chairman
3	Sh. Balkrishan Chamoli	Late Sh. Mani Ram Chamoli	Krishna Vihar, Smith Nagar, Post-Prem Nagar, Dehradun	Businessmen	Secretary
4	Km. Arushi	Dr. Ramesh Pokhriyal	31/1 Vijay Colony Ravindra Nath Tagore Marg Dehradun	Social Worker	Treasurer
5	Sh. Manoj Pokhriyal	Sh. Shashi Kant Pokhriyal	Subhash Nagar, Clement Town Dehradun	Journalist	Joint Secretary
6	Dr. Devesh Shukla	Sh. Rajesh Shukla	F-9/2164, Shastri Nagar, Gali No 1, Manjetha Road, Amritsar	Educationist	Member
7	Sh. T.P. Bhatt	Sh. P.D.Bhatt	Shyampur Rishikesh, Dehradun	Businessmen	Member

Sh. O.P.Bhatt
Ex-Member

Smt. Rachna Bhatt
Ex-Member

मुख्य सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

1-20

संख्या: 253 / 18(1) / 2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

जार्वी/4/
22/7

जारी
22/7/05

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 22 जुलाई, 05

विषय:–हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं चिकित्सा संस्थान को हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय हेतु ऋषिकेश के ग्राम फतेहपुर डांडा में कुल 4.047 है0 भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–146 / 12ए–118(2002–05) दिनांक 2 जून, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं चिकित्सा संस्थान को हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–558 / 16(1) / 73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60)/ 90–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुये जनपद देहरादून की तहसील ऋषिकेश के ग्राम फतेहपुर डांडा के खसरा न0–248 मि0 रकबा 2.510 है0, खसरा न0–247 मि0 रकबा 0.486 है0 एवं खसरा न0–246 मि0 रकबा 1.051 है0 अर्थात कुल 4.047 है0 भूमि निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) [redacted]

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150 / 1 / 85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार

अनुलग्नक - (F)

30-30 वर्ष के लिए इस नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) पट्टेदार एवं उसके उत्तराधिकारियों को आवंटित भूमि में वंशानुगत अधिकार होगा। उत्तराधिकार पट्टेदार को लागू वैयक्तिक विधि द्वारा नियंत्रित होगा।

(5) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(6) यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो गया हो, तो भवन स्थल सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 6 तक में हो किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग मे निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक। [redacted] को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- [redacted], देहरादून।

[redacted]-विभाग, उत्तरांचल शासन।

2- [redacted]

3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

4- सचिव, हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान श्यामपुर, ऋषिकेश, जिला देहरादून।

5- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

अनुलग्नक (प)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, उत्तराखण्ड-246174

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttarakhand)-246174

दूरभाष कार्यालय: 01346-250869

फैक्स: 01346-250869

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

पत्रांक संख्या–हे0न0ब0ग0विवि0 / सू0अ0प्र0 / पत्रावली सं0: 454 / 2013 / 737 दिनांक 02.08.2013

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(4) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र का हस्तान्तरण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव परीक्षा
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(4) के तहत अनुरोध पत्र का हस्तान्तरण।

श्री / श्रीमती / कु0 / डॉ0 / **हर्ष रतूड़ी, 130 / 77, कालीदास मार्ग, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड** के अनुरोध पत्र की प्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि इस अनुरोध पत्र की समस्त सूचनायें आपके महाविद्यालय / संस्थान / संकाय / परिसर / विभाग / अनुभाग से सम्बन्धित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(4) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र की प्रति आपको हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने महाविद्यालय / संस्थान / संकाय / परिसर / विभाग / अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की वांछित सूचनायें अपने स्तर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

यदि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई बिन्दुओं की सूचनायें आपके अनुभाग से सम्बन्धित न हों तो सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर / संस्थान / संकाय / विभाग / अनुभाग को अनुरोध पत्र की प्रति हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

अनुरोधकर्ता को प्रेषित सूचना की एक प्रति सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– अनुरोध पत्र की छाया प्रति।

(डॉ0 वाई0एस0 फर्स्वाण)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि–अनुरोधकर्ता श्री / श्रीमती / कु0 / डॉ0 / हर्ष रतूड़ी, 130 / 77, कालीदास मार्ग, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि आपका अनुरोध पत्र उक्त संस्थान / महाविद्यालय / परिसर / संकाय / विभाग / अनुभाग को सूचना प्रेषण हेतु हस्तानान्तरित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त महाविद्यालय / परिसर / संस्थान / संकाय / विभाग / अनुभाग से ही सम्पर्क करने का कष्ट करें। **यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय 30 दिनों के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आप प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी**, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर **गढ़वाल–246174, उत्तराखण्ड को अपनी प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।**

2/8/13

(डॉ0 वाई0एस0 फर्स्वाण)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / प्रभारी अधिकारी

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर,(उत्तराखण्ड)–246174
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttarakhand)-246174
दूरभाष कार्यालयः 01346–250869,
फैक्सः 01346–250869,

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

पत्रांक,संख्याः हे0न0ब0ग0वि0वि0 / सू0अ0प्र0 / ए–00076 / 2013 / 1018

दिनांकः 19.09.2013

सेवा में,
श्री हर्ष रतूड़ी
130 / 77, कालीदास मार्ग
देहरादून।

महोदय,

आपके मूल अनुरोध पत्र दिनांक 30.07.2013 एंव अपीलीय पत्र दिनांक 06.09.2013 जो विश्वविद्यालय को कमशः दिनांक 02.08.2013 एंव 07.09.2013 को प्राप्त हुआ के कम में विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा आपके अपील पर पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि यदि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश के पश्चात् भी निर्धारित समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आप केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका पता इस प्रकार हैः–केन्द्रीय सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, चतुर्थ तल, क्लब बिल्डिंग, बेर सराय बाजार के सामने, पुराना जे0एन0यू0 कैम्पस, नई दिल्ली–110067.**

(एच0एम0 अरोड़ा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित लोक सूचना अधिकारियों को अपीलीय आदेश की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1. माननीय कुलपति महोदय, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
2. लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव परीक्षा, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
3. गार्ड फाईल।

(एच0एम0 अरोड़ा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर,(उत्तराखण्ड)–246174
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttarakhand)-246174
दूरभाष कार्यालयः 01346–250869,
फैक्सः 01346–250869,

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

अपील संख्याः ए–00076 / 2013 /

अपीलकर्ताः श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77, कालीदास मार्ग, देहरादून।

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव परीक्षा, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल।

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपील संख्याः **ए–00076** की सुनवाई दिनांक **17.09.2013** को की गयी, जिसमें अपीलकर्ता **श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77, कालीदास मार्ग, देहरादून** अनुपस्थित रहे तथा लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव परीक्षा, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल उपस्थित रहे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र दिनांक 30.07.2013 जो विश्वविद्यालय को दिनांक 02.08.2013 को प्राप्त हुआ के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव परीक्षा, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय के पत्रांकः सू0अ0प्र0 / 454 / 2013 / 737 दिनांक 02.08.2013 के तहत हस्तानान्तरित किया गया था।

किन्तु लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव परीक्षा, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष सूचनाओं का प्रेषण नहीं किया गया जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार सूचनायें प्राप्त न होने की दशा में अनुरोधकर्ता द्वारा दिनांक 06.09.2013 जो विश्वविद्यालय को दिनांक 07.09.2013 को प्राप्त हुआ के तहत अपीलीय पत्र प्रेषित किया गया।

अतः लोक सूचना अधिकारी / उप–कुलसचिव परीक्षा, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र दिनांक 30.07.2013 के सापेक्ष समस्त देय वांछित सूचनायें अनुरोधकर्ता को अपीलीय आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस पत्र की एक प्रति माननीय कुलपति महोदय को भी प्रेषित की जाय।

प्रो0 (एम0एस0एम0 रावत)
अपीलीय अधिकारी

दिनांकः 17, सितम्बर, 2013

अनु(ग०७१)-(4)

Central Information Commission

Room No 308, 2nd Floor, Bhikaji Cama Place,
August Kranti Bhawan, New Delhi - 110066
Website: cic.gov.in

Dated: 21/04/2014

File No. CIC/CPIO/CR/2014/0091

Shri Harsh Ratudi
130/77, Kalidas Marg
Dehradun – 248 001.

This has reference to letter no. CIC/CPIO/2014/562-H dated 31.03.2014 in connection with your RTI application. Information is given as under :

Your letter dtd 2.12.13 (Diarized in the Commission vide Diary No.189152/11.12.13) has been returned due to documentary deficiency and Letter dated 8.1.14 (Diarized in the Commission vide Diary No. 106299/24.1.14) was a reminder letter.

Your letter dated 27.1.14 (Diarized in the Commission vide Diary No. 110591/4.2.14) and letter dated 19.2.14 (Diarized in the Commission vide Diary No. 115815/24.2.14) are under scrutiny/process.

2. Appeal, if any, against above reply will lie to Sh. A.K. Dash, Additional Secretary & FAA, Central Information Commission, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066.

(Baljit Singh)
Deputy Registrar (CR)

Shri T K Mohapatra, CPIO for information.

अनुलग्नक-(6)

THROUGH SPEED POST

To,

Shri Baljit Singh,
Deputy Registrar (Central Registry),
Central Information Commission,
Central Registry, Room No. 306, Wing-B,
IInd Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.

DIARY NO. – 189152

SUB: RETURN OF APPEAL UNDER RULE 9 READ WITH RULE 8 OF RTI RULES 2012 FOR REMOVAL OF DEFICIENCY

Respected Sir,

With reference to your letter dated the 4th February, 2014, received by the undersigned on the 19th March, 2014 through the Postal Department, I resubmit my appeal by accompanying the requisite mandatory documents, duly authenticated and verified alongwith an Index of the documents referred to in the second appeal:

i. A copy of the application dated the 30th July, 2013 submitted to the Central Public Information Officer of HNB Garhwal Central University (Annexure – A)*
ii. A copy of appeal made to the First Appellate Authority (Annexure-B)
iii. A copy of the order received from the First Appellate Authority (Annexure – C)
iv. Endorsed Copy of the letter No. हे0न0ब0ग0विवि0 / सू0अ0प्र0 / पत्रावली सं0 454 / 2013 / 737 दिनांकित 02 अगस्त, 2013 received from the CPIO, i.e. acknowledgement of my RTI application (Annexure- D)
v. Copy of the letter No. हे0न0ब0ग0विवि0 / सू0अ0प्र0 / 2013 / 454 / ए–00076 / 937 दिनांकित 09 सितम्बर, 2013 received from the First Appellate Authority regarding hearing of my appeal (Annexure-E).
vi. Copy of my appeal dated the 01st October, 2013 addressed to the Central Information Commissioner (Annexure-F)
vii. Copies of reminders sent to the Central Information Commissioner (Annexure-G)

SP HATHIBARKALA <248001>
EV480361770IN
Counter No:1,OP-Code:PA1
To:C I C.,JNU CAMPUS
NEW DELHI, PIN:110001
From:HARSH RATURI , DDLN
Wt:85grams,
Amt:45.00 , 20/03/2014 , 12:18
Taxes:Rs.5.00<EDD(If not a holiday):00:00:00

भारतीय डाक
India Post

33

अनुलग्नक -(6)

Diary no(s) - 189152

CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Room No. 306, Wing-B,
IInd Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066.
Tel : +91-11-26186536, Website : cic.gov.in

Dated: 04-02-2014

To,

MR. HARSH RATURI
130/77 - KALIDAS MARG
DEHRADUN - 248 001
UTTARAKHAND

Sub: Return of Appeal under Rule 9 read with Rule 8 of Right to Information Rules 2012 for removal of deficiency.

Madam/Sir,

This has a reference to letter dated 02-12-2013 diarized in the Commission as above diary number.

2. As per Rule 8 of the RTI Rules, 2012, following documents are required to be submitted before the Commission for the purpose of registration of second appeal:-

i. A copy of the RTI application submitted to the CPIO;
ii. A copy of the reply given by CPIO if any;
iii. A copy of the first appeal made before the First Appellate Authority;
iv. A copy of the order passed by First Appellate Authority, if any;
v. Copies of the other documents relied upon and referred to in second appeal by appellant;
vi. An index of the documents referred to in the second appeal;
vii. Each of the pages of Second appeal and documents attached with second appeal should be legible in Hindi or English, duly self-attested, authenticated and verified.

3. If appeal is not accompanied with **legible, self-attested, authenticated and verified copies of the documents** prescribed in Rule 8, same is liable to be returned as per Rule 9 of the RTI Rules, 2012.

4. On scrutiny of the documents submitted by you, it appears that the document(s) tick marked in para-1 have not been submitted by you.

5. You are therefore, required to **re-submit your second appeal as per Rule 8 of the RTI Rules, 2012** as explained in para-1 hereinabove.

6. While re-submitting second appeal, take notice of following, if applicable:

a. Do not attach any postal order, as the same is not required.
b. Attach delay condonation application, if appeal is filed beyond 90 days from the date of FAA order.
c. Specify clearly whether or not, any response is given by CPIO or FAA.

Encl: As above

BALJIT SINGH
Dy. Registrar (Central Registry)

DE

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
का0–प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं0:–2312/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांक: 15–12–2014

विषयः– **श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 04–06–2014 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में अपील संख्या–15260 के सन्दर्भ में सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किये गये अपने नामांकन पत्र में दी गई सूचना के सम्बन्ध में श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के द्वारा आपात्ति पत्र दिनांक 04–06–2014 में 05 बिन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए श्री निशंक द्वारा भरे गये नामांकन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराने एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125क मिथ्या शपथ पत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति के अन्तर्गत श्री निशंक के विरूद्ध आपाराधिक मामला दर्ज करावा कर उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के **01** लगायत **72** पृष्ठ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि उक्त प्रकरण पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 125क के अधीन कार्यवाही के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन करने का कष्ट करें।

संलग्नक– 01 लगायत 106 पृष्ठ।
पत्र सं/दिनांक-04-06-14 संलग्न सहित 034 पृष्ठ

भवदीय,

15/12/2014
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

स्पीड पोस्ट द्वारा

-2-

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

फा० सं०- 56/320/2014/रा०दल०अनु०-1 1306 दिनांकः 13 नवम्बर, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय अंत्योदय पार्टी,
8- प्रीत विहार, फेज- 11,
इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर,
देहरादून,
उत्तराखण्ड- 248171

विषयः "भारतीय अंत्योदय पार्टी"- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने **"भारतीय अंत्योदय पार्टी"** का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक 17.12.2014 के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक 11.08.2015 को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन **"भारतीय अंत्योदय पार्टी"** को दिनांक 04.11.2015 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. आपके दल की पंजीकरण संख्या 56/320/2014-15/रा०द०-1 है।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगीः-

(i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।

(ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।

(iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण दल को किसी अन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में दल द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गये अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आबंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के ऊपर वरियता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 5% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गये अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आबंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10 ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अन्तर्गत (राजनैतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में रू0 20,000/- से अधिक प्राप्त संदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

6. यह भी सूचित किया जाता है कि किसी राजनैतिक दल का पंजीकरण करते समय आयोग राजनैतिक दलों के ध्वजों को अनुमोदित नहीं करता है और यदि दल का अपना ध्वज है तो यह उस दल की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 या भारत के फ्लैग कोड अथवा इस विषय से संबंधित अन्य किसी सुसंगत विधि के उपबंधों का उल्लंघन न करे और यह भी कि उसका ध्वज किसी अन्य राजनैतिक दल के ध्वज का किसी भी प्रकार से अनुकरण न करे।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)

सचिव

फा0 56/320/2014/ रा0द0 अनु0-1 दिनांकः 13 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, निर्वाचन भवन, गांव- लाडपुर, मैसूरी बायपास (रिंग रोड), देहरादून- 248008
3. राजनैतिक दल अनुभाग-111
4. गार्ड फाईल।

(वरिन्दर कुमार)

सचिव